



वित्तीय वर्ष
2024-2025

ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड



शुद्धता का वादा,
स्वाद भी ज्यादा

दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

व्यापार से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,
यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आवास विकास कॉलोनी, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. :91-0562-6623300

निदेशक मण्डल

श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)
 श्री अवनेश कुमार (डी.आई.एन. 10756258)
 श्री शिलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. 10739035)
 श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410)
 श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498)
 श्रीमती सपना (डी.आई.एन. 08865085)
 श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081)
 श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147)
 श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846)
 श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 10242870)
 श्रीमती रजनी (डी.आई.एन. 10739075)
 डॉ. रघु हसन मल्लेगौड़ा (डी.आई.एन. 08936193)
 डॉ. सौगता मित्रा (डी.आई.एन. 00541858)
 डॉ. प्रफुल भानवाडिया (डी.आई.एन. 07477658)

कंपनी सचिव

श्री वरुण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.एन. धवन एण्ड कंपनी एल.एल.पी.

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
 गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक
 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
 ऐक्सिस बैंक
 इण्डियन बैंक

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
 प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
 आवास विकास कॉलोनी, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत

दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com

Website : www.saahajmilk.com

अध्यक्ष एवं निदेशक

विशेषज्ञ निदेशक

विशेषज्ञ निदेशक

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

आंतरिक अंकेक्षक

मैसर्स बोरकर एण्ड मजूमदार

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

मुम्बई

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स

बीटल फाइनेन्शियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.

बीटल हाउस, तृतीय तल

99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली-110062

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4-34
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	35-50
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक	51-85
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	51
	(ब) लाभ-हानि विवरण	52
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	53
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	54-85

संलग्नक : बारहवीं वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक 86-109

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

- ★ ईमानदारी
- ★ दूरदर्शिता
- ★ गुणवत्ता
- ★ पारदर्शिता
- ★ टीम-भावना
- ★ साहस और जुनून
- ★ जागरूकता और जिम्मेदारी
- सभी स्तर पर
- ★ समय तत्परता

ध्येय

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज दुग्ध उत्पादक संस्था दूध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तर भारत की अग्रणी संस्था होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय अंशधारकों,

यह मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं आपको कंपनी के ग्यारहवें वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रदर्शन की मुख्य झलकियाँ और निरंतर प्रगति प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सहज अपने संचालन के ग्यारहवें वर्ष में मजबूती से खड़ा है। इस दौरान हमारी वृद्धि यात्रा सदस्यता में निरंतर वृद्धि और हमारे सदस्य किसानों के बीच स्थापित गहरे विश्वास में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने रु. 1,012.74 करोड़ का कारोबार किया और रु. 7.51 करोड़ का कर-पूर्व लाभ (PBT) अर्जित किया। यह उत्कृष्ट उपलब्धि कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक सोच और अटूट समर्पण का प्रमाण है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निदेशक मंडल ने उन सदस्यों के लिए लाभांश की सिफारिश की है, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के रजिस्टर ऑफ़ मेंबर्स में दर्ज हैं।

हमें यह साझा करते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि कंपनी ने रु. 10.17 करोड़ की निष्ठा प्रोत्साहन राशि (Loyalty Incentive) अपने उन सक्रिय उत्पादक सदस्यों को प्रदान की गई, जिन्होंने निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा किया। यह कंपनी की 11 वर्षों की यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा प्रोत्साहन वितरण है।

कंपनी डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है, क्योंकि वह उनके घरेलू उत्तरदायित्वों और आय सृजन गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करने की अद्वितीय क्षमता को मान्यता देती है। वर्ष के अंत तक, हमारे कुल 1,24,274 सदस्यों में से 61,504 महिलाएं – यानि 49% सक्रिय रूप से योगदान दे रही थीं। यह असाधारण भागीदारी डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा और समान विकास को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने दूध उत्पादक सदस्यों से प्रतिदिन औसतन 528 हजार किलोग्राम (TKg) दूध की खरीद की, और उन्हें उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान किए। साथ ही, कंपनी ने कृत्रिम गर्भाधान, राशन संतुलन (Ration Balancing) और एथनो-वेटरनरी मेडिसिन (EVM) जैसी आवश्यक सेवाएं उनके द्वार तक पहुँचाकर, उनके पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को समर्थन दिया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने सदस्यों को उच्च गुणवत्ता वाला घी उपलब्ध कराया, जिसकी कुल बिक्री वर्ष में 679.41 मीट्रिक टन रही। कंपनी ने 9,887.64 मीट्रिक टन पशु आहार, 265 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 57.01 मीट्रिक टन चारे के बीजों की भी बिक्री की। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी ने 700 AI केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कीं और पूरे वर्ष में कुल 6.82 लाख गर्भाधान सफलतापूर्वक किए।

मैं अपने सह-निदेशकों, विशेषज्ञ निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके समर्पण और परिश्रम से हम अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं।

आपका विश्वसनीय

ह./-

शिवप्रताप

अध्यक्ष एवं निदेशक

डी.आई.एन. : 07894230

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

अंशधारकों को निदेशकों की ग्यारहवीं

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च, 2025 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 (को समाप्त वर्ष के लिए)	31.03.2024 (समाप्त वर्ष के लिए)
कुल आय	1021.73	1064.79
खर्च सहित कुल लागत	1014.22	1042.69
कर से पूर्व लाभ/हानि	7.51	22.10
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	1.83	4.63
(2) पिछले वर्ष का अतिरिक्त कर प्रावधान	—	—
(3) स्थगित कर	0.13	0.13
कुल कर खर्च	1.96	4.76
लाभ / (हानि) कर के बाद	5.55	17.34

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1012.76 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व रु. 1021.73 करोड़ दर्ज हुआ है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रु. 1064.79 करोड़ दर्ज हुआ था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रु. 1014.22 करोड़ थी। इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रु. 1042.22 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ / (हानि) (पीबीटी) रु. 7.59 करोड़ हुआ है और कर पश्चात लाभ / (हानि) रु. 5.55 करोड़ का हुआ है। अंश जिसका अंकित मूल्य रु. 100 है, उसकी प्रति अंश आय (ईपीएस) रु. 18.53 / - है जोकि कुल इक्विटी पूंजी रु. 31.81 करोड़ के आधार पर है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड) :

कंपनी के पास सदस्यों को अंश पूंजी पर लाभांश की घोषणा का एक सुसंगत ट्रैक रिकार्ड है। आपकी कंपनी के निदेशकों ने 15.07.2025 को हुई बैठक में 31.18 करोड़ रुपये की इक्विटी अंश पूंजी पर प्रति अंश 8/- रुपये के लाभांश की सिफारिश की। आगामी बारहवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को लाभांश भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31.03.2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे।

वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी अंश 8/- रुपये की दर से कुल लाभांश 2.55 करोड़ रुपये होगा।

सामान्य संचय में स्थानांतरण :

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से रुपये 3 करोड़ सामान्य संचय के खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

परिदृश्य (Outlook)

प्राचीन काल से ही डेयरी व्यवसाय कृषि के पूरक रूप में कार्य करता रहा है, जिसका लागत से विपरीत सम्बन्ध होता है, क्योंकि किसान चारा उत्पादन से अन्य बेहतर मुनाफा देने वाली फसलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, सहकारी समितियों/दूध उत्पादक संगठनों (MPOs) ने किसानों को उचित मूल्य देना प्राथमिकता में रखा है और उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रत्येक रुपये में से लगभग रु. 0.80 सीधे दुग्ध उत्पादकों को लौटाया गया है। यह वैश्विक स्तर पर अद्वितीय मॉडल समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, ग्रामीण आजीविका को बनाए रखता है और किसान को गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि 10 करोड़ से अधिक परिवार, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी गई है, जो भारत के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए रु. 2,790 करोड़ के बढ़े हुए बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य डेयरी अवसंरचना का आधुनिकीकरण, दुग्ध संग्रहण और प्रसंस्करण क्षमताओं को मजबूत करना तथा गुणवत्ता समितियों की स्थापना और 2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों के गठन पर केंद्रित है, जिसमें पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें अनुमानतः 3.2 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिनमें 70% महिलाएं लाभान्वित होंगी, जो डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कार्यबल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 डेयरी क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित रहा, जिससे किसानों को कम पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। फिर भी, आपकी कंपनी ने शारीरिक और वित्तीय दोनों ही क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में समान स्तर की उपलब्धियां हासिल की, जो क्षेत्र विस्तार और प्रणाली सुधार के कारण संभव हो सकीं। बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद, हमारे समर्पित दुग्ध उत्पादक सदस्यों और कर्मचारियों के प्रयासों से कंपनी ने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। इसके अलावा, कंपनी ने उन पात्र सदस्यों के लिए रु. 10.17 करोड़ की वफादारी प्रोत्साहन राशि घोषित की, जिन्होंने कंपनी द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया – जो कंपनी के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक राशि है।

ऑपरेशन्स ओवरव्यू

आपका सहज मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन गौरवमयी अनुभवों के साथ 10 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इस दौरान दूध खरीद में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और सीखें मिलीं, जिससे आपकी संस्था को डेयरी क्षेत्र और अपने दुग्ध उपार्जन क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के बीच एक मजबूत, विश्वसनीय और महत्वपूर्ण पहचान मिली है।

वर्ष की शुरुआत में हम 12 जिलों के 3,110 गाँवों में संचालन कर रहे थे, जिनमें 90,984 पंजीकृत सदस्य थे। वर्ष के दौरान, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए 19 जिलों के 5,072 गाँवों (JICA और NGC विलय) में 1,28,515 पंजीकृत सदस्यों के साथ कार्य किया। एक ही वर्ष में 1,962 (नए और परिवर्तित) गाँवों को आच्छादित करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया। हमने औसतन 528 हजार किलोग्राम प्रति दिन दूध संग्रह किया, जो पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहा।

संस्था द्वारा JICA परियोजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में JICA के अंतर्गत 5,595 सदस्य थे, जिनमें 2,918 महिलाएं थीं और 222 MPPs कार्यरत थे। वर्ष के अंत तक यह बढ़कर 24,691 सदस्य हो गए, जिनमें 13,783 महिलाएं थीं और 1,200 MPPs थे। JICA परियोजना के तहत 500 MPPs की DPMCU को प्रतिस्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, NGC ऑपरेशन (कन्नौज और कानपुर क्षेत्र) का सफलतापूर्वक आपके संगठन में विलय हुआ।

सदस्यों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सदस्य परिवारों के घरों पर बायोगैस इकाइयों की स्थापना भारी छूट दर पर शुरू की गई। सबसे छोटी इकाई की लागत लगभग रु. 38,000/- है, जिसमें सदस्य का योगदान केवल रु. 7,000/- है। कंपनी ने प्रति यूनिट रु. 4,000/- का योगदान दिया और शेष राशि NDDDB द्वारा वहन की गई। कुल 83 इकाइयों की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी का कुल योगदान रु. 3.32 लाख रहा। कंपनी ने इस गतिविधि के तहत 1,000 परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल पर्यावरण सुधार के साथ-साथ सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में

बदलाव लाएगी।

इसके अतिरिक्त संगठन की समग्र स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कई सुधारात्मक कदम उठाए गए, जैसे—

- दूध वैन कीरूट ऑप्टिमाइजेशन।
- सदस्यों को अधिक लाभ देने हेतु गाय व भैंस के दूध का अलग-अलग संकलन।
- ऐप आधारित स्टॉफ निगरानी और मैनुअल डेटा निगरानी की शुरुआत।

सबसे महत्वपूर्ण, KAIZEN गतिविधियों के माध्यम से MPP स्तर पर अवसंरचना को मजबूत किया गया जिससे संचालन से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी आई।

आगे की राह (Way Forward):

दुग्ध उपार्जन टीम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरे उत्साह और जोश के साथ लक्ष्य तय किए हैं। कंपनी ने वर्ष 2025-26 में दूध संग्रह को प्रतिदिन औसतन 7.60 लाख किलाग्राम तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसे पंजीकृत सदस्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। कंपनी "राष्ट्रीय डेयरी योजना कार्यक्रम (NPDD) - 'सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी' (JICA सहायतित परियोजना)" के सहयोग से अपने मौजूदा क्षेत्र के 5,700 गाँवों को कवर करने की योजना बना रही है।

कंपनी पहले ही अपने भागीदारों (सहायक और कंसेशनर) को प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से जागरूक और प्रेरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है, जिससे संचालन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा, संगठन 3,000 से अधिक पुराने इको-एनालाइजर को नए OTP आधारित यूनिट्स से प्रतिस्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिससे MPP स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। संस्था द्वारा प्रणाली को मजबूत करने हेतु पूर्व में उठाए गए सभी कदमों का अनुपालन जारी रखा जायेगा।

कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination):

कंपनी ने घर-घर तक व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवा का एक सुदृढ़ मॉडल स्थापित किया है, जो प्रशिक्षित और योग्य मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। ये MAITs किसानों के दरवाजे पर SAG (NDDB-DS द्वारा प्रबंधित) की टॉप जेनेटिक्स का उपयोग करते हुए गर्भाधान करते हैं, जिससे दुग्ध पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी तथा किसानों की आय में अधिकतम वृद्धि सुनिश्चित होती है।

सहज के MAITs द्वारा की जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की मांग हर वर्ष बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कंपनी की उच्च गुणवत्ता और SOP आधारित प्रणाली है। इसमें एक मजबूत कोल्ड चेन सुनिश्चित की जाती है, जिसमें स्पर्म को सब-जीरो तापमान पर संग्रहित किया जाता है, जिससे उसकी गतिशीलता (mobility) बनी रहती है और गर्भधारण दर में सुधार, ब्यांत के बीच की अवधि में कमी, पहली ब्यांत की आयु में कमी और दुग्ध पशु के उत्पादक जीवन काल में वृद्धि सुनिश्चित होती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने अपने कुशल MAITs द्वारा कुल 6.82 लाख कृत्रिम गर्भाधान (AI) सफलतापूर्वक किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी का लक्ष्य 700 AIC के माध्यम से 10.01 लाख AI करने का है। साथ ही कन्नौज क्षेत्र में नई AI सेवा, सेक्ट सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत हिफर रियरिंग सेन्टर (HRC) की स्थापना की योजना भी बनाई गई है।

राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम (Ration Balancing Program):

कंपनी ने उच्च गुणवत्ता युक्त संतुलित पशु आहार "सहज सुदाना" और क्षेत्र विशिष्ट मिनरल मिश्रण "सहज मिन" को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के साथ प्रदान करना जारी रखा है। पशु आहार दो प्रकार में उपलब्ध है, सहज सुदाना गोल्ड (BIS टाइप I – ऊर्जा से भरपूर पशु आहार) और सहज सुदाना (BIS टाइप II)

कंपनी ने इन उत्पादों की कैशलैस लेन-देन प्रणाली के माध्यम से अपने उत्पादक सदस्यों के घर तक उपलब्धता सुनिश्चित की है। उत्पाद की सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए सख्त नियंत्रण प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं।

वर्ष 2024-25 में कंपनी ने पशु आहार की बिक्री 9.887 मीट्रिक टन, मिनरल मिश्रण 265 मीट्रिक टन और चारा बीज 57.1 मीट्रिक टन की। वर्ष 2025-26 में कंपनी पशु आहार की बिक्री 20,024 मीट्रिक टन, मिनरल मिश्रण 520 मीट्रिक टन और चारा बीज 78 मीट्रिक टन करेगी एवं साल भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी।

मास्टाइटिस नियंत्रण लोकप्रियकरण परियोजना (Mastitis Control Popularization Project):

अनुमान के अनुसार, 60% से 70% दूध की हानि का कारण सब-क्लीनिकल मास्टाइटिस होता है, जो अक्सर किसानों की नजर में नहीं आता। इस समस्या की पहचान और उपचार के लिए कम लागत वाली फील्ड-स्तरीय योजना विकसित की गई है।

इसके साथ ही, एथनो-वैटरनीरी मेडिसिन (EVM) को क्लिनिकल और क्रॉनिक मास्टाइटिस के सतत समाधान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है। कंपनी द्वारा प्रसार सेवाएं, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, पोस्टर और EVM पुस्तिका के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

वर्ष 2024-25 में इस परियोजना के अंतर्गत 749 पशुओं का मास्टाइटिस के लिए उपचार किया गया। 83% सफल इलाज दर 1,956 पशुओं का अन्य बीमारियों के लिए उपचार किया गया – 82% सफल इलाज दर।

विक्रय एवं विपणन (Sales and Marketing) :

कंपनी सदैव यह मानती है कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला ताजा और पौष्टिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस दिशा में कंपनी ने दूध की बिक्री ढीले दूध (Loose Milk) के रूप में दूध एटीएम वैन के माध्यम से जारी रखी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी उत्पादित दूध (PPM) और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री का दायित्व मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। यह निर्णय दूध संग्रहण में अपेक्षित तीव्र वृद्धि और खुदरा बिक्री में मध्यम स्तर की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हालांकि, घी का उत्पादन कंपनी द्वारा वर्ष भर जारी रखा गया।

नीचे दी गई तालिका से वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त विक्रय उपलब्धियों की जानकारी मिलती है :

श्रेणी	इकाई	बिक्री
पीपीएम	ली./प्रतिदिन (LPD)	29,571
छाछ	ली./प्रतिदिन (LPD)	1,815
दही	किग्रा./प्रतिदिन (KgPD)	3,194
घी	मीट्रिक टन (MT)	679,41

दूध (PPM), मट्ठा और दही का विपणन मई 2024 तक कंपनी द्वारा किया गया। घी की बिक्री वर्ष भर जारी रही।

उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building) :

उत्पादक संस्था निर्माण (PIB) का उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना है, जिसके तहत दुग्ध उत्पादक सदस्यों को प्रणालीबद्ध एवं मूल्य आधारित सहायता प्रदान की जाती है। बेहतर शासन प्रणाली और कार्यपद्धति के माध्यम से, कंपनी एक सतत् एवं लाभकारी मॉडल विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे न केवल सदस्य बल्कि पर्यावरण भी लाभान्वित हो।

कंपनी द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, शुरुआत से ही Village Contact Groups (VCG) और Member Relation Groups (MRG) जैसे अनेक अनौपचारिक समूहों का गठन किया गया है। ये वे सदस्य हैं जो नियमित रूप से कंपनी को दूध की आपूर्ति करते रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, 31 मार्च 2025 तक 10,542 सदस्य VCG के रूप में नामांकित किए गए 2,752 सदस्य MRG के रूप में जोड़े गए। इन समूहों ने Milk Pooling Points (MPPs) की प्रगति की समीक्षा हेतु संचालित बैठकें अयोजित की और अपने अनुभव साझा किए।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक कुल 84,620 दूध डालने वाले (Pourer) सदस्य दर्ज किए गए, जो कि स्थापना के बाद से अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह सफलता लगातार किए गए “गैर-दूध डालने वाले सदस्यों” के सर्वेक्षण, घर-घर संपर्क अभियान, और सदस्यों को दुग्ध लेन-देन के SMS नियमित रूप से भेजे ताकि पारदर्शिता और विश्वास कायम रहे।

इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने अधिकतम महिला सदस्यता को जोड़ने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1,24,724 पंजीकृत सदस्यों में से 61,504 महिलाएं (49%) सदस्यता से जुड़ी, जिनमें से अधिकांश ने आत्मनिर्भरता की अनुभूति करते हुए गर्व महसूस किया।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance) :

वर्ष 2024–25 में, कंपनी ने गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (Quality Assurance Infrastructure) के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बुल्क मिल्क कूलर्स (BMC) और मिल्क चिलिंग सेंटर्स (MCC) में उन्नत तकनीकों की स्थापना की गई है, जो संग्रहण स्थल से ही दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

दुग्ध मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में गुणवत्ता नियंत्रण को सशक्त बनाने हेतु, कंपनी ने नवीनतम तकनीकों पर आधारित उन्नत निगरानी प्रणालियों (Advanced Monitoring Systems) को लागू किया है। ये उपकरण दूध संग्रहण स्तर पर कच्चे दूध की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी और एकरूपता सुनिश्चित करते हैं।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और सुदृढ़ करते हुए, कंपनी ने ISO 22000:2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सात स्थानों पर सफलतापूर्वक लागू किया है। यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन हमारी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुपालन और सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता युक्त दूध प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

ये रणनीतिक पहलें हमारी उत्कृष्टता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे कंपनी की ब्रांड छवि मजबूत हुई है और ग्राहकों का विश्वास व संतोष अर्जित करने में सफलता मिली है।

कंपनी ने दुग्ध मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता और सुधार के उद्देश्य से विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियाँ (Quality Systems) डिजाइन और लागू की हैं। निरंतर सुधार (Continuous Improvement) के तहत, गुणवत्ता विभाग नेकाइजेन (Kaizen) पद्धति को अपनाया है।

इसके अंतर्गत दो छोटी सुधार योजनाएँ (SIPs) तैयार कर उन्हें 18 स्थानों पर सफलतापूर्वक दोहराया गया। इससे न केवल संचालन दक्षता में वृद्धि हुई, बल्कि कंपनी को वित्तीय लाभ भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त तीन Non-IBR बॉयलर स्थापित किए गए हैं, जिससे सफाई की प्रभावशीलता और नमी आधारित सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया है। साथ ही, एक कठोर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र (Strict Quality Control Mechanism) स्थापित किया गया है, जो उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं के विश्वास बनाए रखता है।

मानव संसाधन – “कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर”

मानव संसाधन विभाग (HRD) ने सुदृढ़ व्यक्तिगत प्रबंधन को बनाए रखते हुए कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित करने में निरंतर भूमिका निभाई है, हर कदम पर उनके साथ खड़ा रहा है।

विवेचना वर्ष के दौरान, मानव संसाधन विभाग ने पेरोल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक इन-हाउस प्रारंभ किया, जिससे बेहतर नियंत्रण और दक्षता सुनिश्चित हुई। कई छोटे लेकिन प्रभावशाली परिवर्तन किए गए, जैसे कि नए कर्मचारियों के लिए स्वागत किट की शुरुआत, तीन दिवसीय मैराथन इंडक्शन सत्र और सभी कर्मचारियों के लिए टर्म इंश्योरेंस, जिसमें सहायक और कन्सेशनर भी शामिल हैं एवं ऐसे छोटे-छोटे बदलाव कर्मचारियों के अनुभव और जुड़ाव पर बड़ा प्रभाव डालते हैं।

कर्मचारियों के सतत् विकास और कौशल संवर्धन के उद्देश्य से मानव संसाधन विभाग ने कई इन-हाउस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इनमें शामिल थे एक्सेल (MS Office), काइजेन ई.आर.पी. एप्लिकेशन, POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम), ISO मानक, GMP एवं समय प्रबंधन। इन प्रशिक्षणों

ने संगठन में उपलब्ध प्रतिभा से ज्ञान और कौशल साक्षा करने का माध्यम बनते हुए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों और विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई है ताकि सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके और भविष्य के लिए एक सशक्त कार्यबल तैयार किया जा सके।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पश्चात :

ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

पूंजी संरचना और अंशों का आवंटन और सदस्यता :

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया है, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 31 मार्च, 2025 तक 45 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान 8,41,752 इक्विटी अंश, रु. 100/- प्रति अंश की दर से 72,396 सदस्यों (नए और मौजूदा) को जारी किए हैं। वित्त वर्ष की शुरुआत में कंपनी की उपार्जित और प्रदत्त अंश पूंजी रु. 27.90 करोड़ थी और 31 मार्च, 2025 को रु. 31.81 करोड़ थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने 21,682 सदस्यों के 4,49,971 अंश आत्मसमर्पण/सदस्यता रद्दता के कारण रद्द कर दिए और वर्ष के दौरान नए और मौजूदा सदस्यों को उक्त आत्मसमर्पण/रद्द किए गए अंशों को फिर से जारी किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई समता अंश या अधिमान अंश या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने का अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी का कुल सदस्यता आधार 1,24,274 सदस्यों का था। 31 मार्च, 2025 के बाद, कंपनी ने 9,103 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 1,230 सदस्यों की सदस्यता सरेडर/रद्द कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 1,32,147 सदस्य है।

सदस्यता रद्द होने से बचने के लिए, श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी से संबंधित सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रांसगिक वित्तीय वर्षों के दौरान सदस्यता जारी रखने के लिए अपने संबंधित वर्ग के सभी संरक्षण मानदंडों और शर्तों को पूरा करें।

वार्षिक आम सभा में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार :

आज की दिनांक में कुल 1,32,147 सदस्यों में से,

30,401 सदस्यों (श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी को मिलाकर) को बारहवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार है (निदेशक के संबंधित वर्ग के चुनाव पर मतदान सहित) क्योंकि उन्होंने संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है।

12,685 सदस्यों को बारहवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (अपने संबंधित वर्ग के निदेशकों के चुनाव पर मतदान को छोड़कर) पर वोट देने का अधिकार है क्योंकि वे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी को न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति पूरे करने के बावजूद अपने संबंधित वर्ग की सभी शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

89,061 सदस्य बारहवीं वार्षिक आम सभा में भाग लेने के हकदार हैं लेकिन उन्हें बारहवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं है।

नए सदस्य, जिन्हें 31 मार्च 2025 के बाद शामिल किया गया था, वे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश के साथ-साथ बारहवीं एजीएम में मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) :

अधिनियम की धारा 124, 125 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 (इसके बाद 'आईईपीएफ नियम के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ें) (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित), वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीमित रिटर्न (लाभांश) की राशि रु. 5,12,248/- जो अवैतनिक लाभांश खाते में पड़े रहने की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक अवैतनिक/लावारिस रहा, कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी के पास कोई अंतर्निहित शेयर नहीं है जिसे उपर्युक्त हस्तांतरण के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, इसके संबंध में कोई आवश्यक

कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि उक्त सूची की जांच करें और यदि उनके कारण कोई उपरोक्त राशि उक्त सूचियों में बकाया रह गई है, तो उसे जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठकें :

कंपनी के व्यवसाय के लेन-देन के लिए बोर्ड की समय-समय पर बैठकें होती हैं और विचाराधीन वर्ष के दौरान सात बोर्ड बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं :

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
53 वीं बोर्ड बैठक	24 मई, 2024	14	14
54 वीं बोर्ड बैठक	26 जुलाई, 2024	15	12
55 वीं बोर्ड बैठक	22 अगस्त, 2024	15	14
56 वीं बोर्ड बैठक	25 सितम्बर, 2024	15	13
57 वीं बोर्ड बैठक	25 नवम्बर, 2024	15	13
58 वीं बोर्ड बैठक	24 जनवरी, 2025	15	14
59 वीं बोर्ड बैठक	22 मार्च, 2025	15	14

समिति

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायत को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन 25 मार्च, 2021 को किया गया था। समिति की संरचना इस प्रकार है :

श्री शिवप्रताप, अध्यक्ष
श्रीमती उमा भदौरिया, सदस्य
डॉ. प्रफुल भानवाड़िया, सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री रजनीश कुमार एवं बसंत चौधरी समिति के सदस्य नहीं रहे। श्रीमती उमा भदौरिया एवं डॉ. प्रफुल भानवाड़िया समिति के सदस्य चुने गये। समिति की एक बार बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

हितधारक संबंध समिति बैठक संख्या	समिति बैठक की दिनांक	समिति के सदस्य	समिति में उपस्थित सदस्य
चतुर्थ	22 मार्च, 2025	3	3

कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल में परिवर्तन :

श्री रजनीश कुमार और श्री उपेन्द्र सिंह ने 25 सितम्बर, 2024 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गये। डॉ. संजय कुमार मगनलाल गोवाणी ने 28 अप्रैल, 2025 से विशेषज्ञ निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

श्रीमती रजनी, श्री अवनीश और श्री शैलेन्द्र को 25 सितम्बर, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया। श्रीमती सपना को 25 सितम्बर, 2024 से कंपनी की निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। श्रीमती सुनीत को 5 फरवरी, 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल 25 सितम्बर, 2024 को समाप्त हो गया। डॉ. रघु हसन मल्लेगौड़ा को 24 मई, 2024 से विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री बसंत चौधरी ने 22 अगस्त, 2024 से मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक के पद से इस्तीफा दिया और उन्हें 23 अगस्त, 2024 से पुनः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके पश्चात् उन्होंने 25 नवम्बर, 2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। डॉ. प्रफुल भनवाड़िया को 26 नवम्बर, 2024 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल ने सेवानिवृत्त निदेशकों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के तहत कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक मंडल की संरचना और आगामी वार्षिक सभा में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति :

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों को उनके संरक्षण और बोर्ड में ऐसे वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जहां तक संभव हो, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मानदंडों के निर्धारण का प्रावधान है। संरक्षण के आधार पर सदस्यों को तीन अलग-अलग वर्गों अर्थात् श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और रेणी-सी में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड को कंपनी की छठी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति के संबंध में डेटा के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि, श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी के सदस्यों का संरक्षण योगदान क्रमशः 9%, 21% और 70% था। तदनुसार, प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के संरक्षण के आधार पर बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले बोर्ड की संरचना में क्रमशः श्रेणी-ए के लिए 1 निदेशक, श्रेणी-बी के लिए 2 निदेशक और श्रेणी-सी के लिए 8 निदेशक शामिल हैं। कंपनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करेगी :-

श्रेणी-ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी-ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री सुशील कुमार कंपनी की बारहवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे। इस श्रेणी में अन्य कोई नियुक्ति नहीं है।

श्रेणी-बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी-बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, "श्रेणी-बी" में कोई निदेशक की सेवानिवृत्ति नहीं है।

नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड श्रीमती पूनम यादव को "श्रेणी-बी" की नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्रेणी-सी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 निदेशक हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री शिव प्रताप एवं श्री शिव कुमार शर्मा कम्पनी की बारहवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे।

नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड श्रीमती सोनम कुमारी एवं श्रीमती प्रेमलता को "श्रेणी-सी" की रिक्ति को भरने के लिए नियुक्ति की सिफारिश करता है।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के नाम, योग्यता और अन्य विवरण कंपनी के बारहवीं वार्षिक आम सभा आयोजित करने वाले नोटिस के साथ संलग्न है।

इससे कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के तहत अनुमेय वर्ग-ए में निदेशकों की कुल संख्या 2, वर्ग-बी में 2 और वर्ग-सी में 7 निदेशक हो जाएगी, यदि बारहवीं वार्षिक आम सभा में उपर्युक्त प्रस्तावित निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि –

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़े हुए लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।
3. निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
4. निदेशकों ने वार्षिक खाते 'चालू संस्था' के आधार पर तैयार किए हैं।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी :

समीक्षा वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं मिला।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकार्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री संबंधी कमजोरी नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मैसर्स बोरकर एण्ड मजूमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है। इसके उपरान्त, बोर्ड ने मैसर्स आर.एस.एम. एस्ट्यूट कन्सलटिंग प्राईवेट लिमिटेड को कॉनकरिन्ट ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है।

नियंत्रण/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ :

कंपनी की कोई नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जमाओं से संबंधित विवरण के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई जमा नहीं थी।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ :

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी संबंधित पार्टी लेन-देन हुआ है तो वह आर्म्स

लेंथ के आधार तथा सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुए। इसके अलावा, कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रपत्र एओसी-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, AS-18 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार वर्ष के लिए संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण 31 मार्च, 2025 तक बैलेंस शीट के नोट्स में दिया गया है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.):

कंपनी ने एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया गया है। बनाई गई नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को शुरू करना है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट <https://saahajmilk.com/saahaj-policies/> पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में चिन्हित NDDDB फाउण्डेशन फॉर न्यूट्रीशियन (NFN), आनन्द के "गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम" में 19,48,700/- रुपये की राशि का योगदान दिया।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध ए के रूप में निर्धारित प्रारूप के अनुसार संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

जोखिम प्रबंधन नीति :

जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और कम करने/नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में इसकी शमन प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और कार्यान्वित की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

ऊर्जा का संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी विनिमय आय एवं निकासी :

(i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आय – शून्य

निकासी – शून्य

कंपनी के पास समान्य कार्यालय और बिजली के उद्देश्यों को छोड़कर कोई बिजली की खपत नहीं है।

सतर्कता तंत्र (विजिल मैकेनिज्म) :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र की स्थापना की है और बोर्ड ने सतर्कता तंत्र की देखरेख का कार्य कंपनी के मुख्य कार्यकारी को सौंप दिया है। विजिल मैकेनिज्म (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट <https://saahajmilk.com/saahaj-policies/> पर उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायलयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करेगा।

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक :

कंपनी ने वैधानिक लेखापरीक्षक मैसर्स एस. एन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (पंजीकरण संख्या 000050N/N500045) को कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्त किया गया था और वें कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक (जो वर्ष 2029 में आयोजित की जाएगी) की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

सचिवीय लेखापरीक्षक :

आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए मैसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (सीपी 6950) को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट अनुबन्ध 'बी' के रूप में संलग्न है और यह इस प्रतिवेदन का अभिन्न भाग है।

लागत अभिलेख :

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/सचिवीय परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी :

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को जब खातों और लेखांकन नीतियों के प्रासंगिक नोट्स के साथ पढ़ी जाती हैं, तो स्व-ब्याख्यात्मक होती हैं और किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है।

साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट है और इस पर किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

ICSI के सचिवीय मानक :

इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा पालन किया गया।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक :

कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com है। कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसका लिंक है : <http://saahajmilk.com/annual-general-meeting/>

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

शिकायतों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

- (क) वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या : शून्य
- (ख) वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या : शून्य
- (ग) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या : शून्य

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन :

कंपनी द्वारा मातृत्व अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है।

इंसेल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 :

वर्ष के दौरान इंसेल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था और कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

एक मुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण :

लागू नहीं।

कर्मचारियों का विवरण :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित संशोधित

कंपनी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिकद्ध नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

सराहना और आभार :

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। निदेशक कंपनी को उनके निरंतर समर्थन के लिए कर्मचारियों, बैंकरों और आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षकों दोनों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम वर्ष के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

वास्ते निदेशक मण्डल

ह./-

शिव प्रताप

अध्यक्ष एवं निदेशक

डी.आई.एन. : 07894230

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

स्थान : आगरा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा :

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में वर्णित गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :

- क) स्वास्थ्य
- ख) शिक्षा
- ग) स्वच्छता सुविधाएं
- घ) पर्यावरणीय स्थिरता
- ङ) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
- च) व्यावसायिक कौशल में सुधार
- छ) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना
- ज) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
- झ) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
- ञ) इन्क्यूबेटरस या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
- ट) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को अंजाम देना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना।

2) सीएसआर समिति की संरचना :

लागू नहीं ;कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी को नहीं है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की उन बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
---- लागू नहीं ----				

- 3) वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कंपनी की सीएसआर नीति <http://saahajmilk.com/saahaj-policies/> पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2024-25 में संचालित की गई कंपनी की सीएसआर परियोजना का विवरण <http://saahajmilk.com/csr-projects/> पर उपलब्ध है।

- 4) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम 3 के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

कंपनी को वर्तमान में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है

- 5) (a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 9,74,32,334 /-

(b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 19,48,700 /-

(c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष – शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (b+c-d) – रु. 19,48,700 /-

6. (a) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्य-कलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सी.एस. आर. खाते में अंतरित की गई राशि ;रुपये में	कार्यान्वयन रीति सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजि-स्ट्रीकरण संख्या
---- लागू नहीं ----												

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि ;रुपये में	कार्यान्वयन का तरीका सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम	कुपोषण उन्मूलन स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ आगरा के अन्तर्गत ब्लॉक	उत्तर प्रदेश	आगरा	रु. 19,48,700 /-	नहीं	NDDB Foundation For Nutrition	CSR00004168
	कुल योग					रु. 19,48,700/-			

- b) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि – शून्य
- c) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं
- d) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (अ+ब+स) – रु. 19,48,700/-
- e) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

खर्च न की गई (अव्ययित) राशि (रुपये में)					
वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) कुल राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा – विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 19,48,700/-	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- f) समायोजित (सेट आफ) करने के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो –

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो (2) प्रतिशत	रु. 19,48,700/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 19,48,700/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि [(ii) - (i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट आफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

- 7) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	समीक्षाधीन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
---- लागू नहीं ----							

- 8) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी.एस.आर. व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें : लागू नहीं यदि हाँ, तो निमित्त/अधिग्रहण पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें : एन/ए

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण
---- लागू नहीं ----					

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में लिया जाना चाहिए प्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

- 9) कारणों को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने असफल हुई हो -

लागू नहीं (कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना सीएसआर दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाहित किया है।)

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान : आगरा

ह./-
शिव प्रताप
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894230

FORM NO. MR-3

संलग्नक-ब

सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ)
(कंपनी अधिनियम, 2016 की धारा 204(1) और कंपनी प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति
और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम के अनुरूप)

सेवा में,

सदस्यगण

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(कॉरपोरेट पहचान संख्या : U01403UP2014PTC066595)

यूनिट संख्या : 401, 402, 403 एवं 404, चौथी मंजिल,

पदम कॉरपोरेट पार्क, प्लॉट संख्या BS-10, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा योजना, आवस विकास कॉलोनी

आगरा, सदर, उत्तर प्रदेश-282007

मैंने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कॉरपोरेट पहचान संख्या : U01403UP2014PTC066595) (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं सुशासन के कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। यह सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार से किया गया जिससे कंपनी के कॉरपोरेट व्यवहारों/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं इस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए एक यथोचित आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों, दस्तावेजों, मिनट बुक्स, फार्म, दायर रिटर्न तथा लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद है, जो लागू प्रावधानों के अनुसार और इस रिपोर्ट में किए गए विवरण के अनुसार कार्य कर रहा है।

- A. मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रखी गई पुस्तकों, दस्तावेजों, मिनट बुक्स, फॉर्मों, दायर रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जांच की है :

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उनके अधीन बनाए गए नियम।
- B. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति 'मिल्क पूलिंग पॉइंट्स के माध्यम से सीधे दुग्ध उत्पादकों से दूध की खरीद का कार्य करती है तथा उसे एनडीडीबी-डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) को विक्रय करती है। कंपनी घी, पशु आहार एवं सीमेन (Semen) के व्यवसाय में भी संलग्न है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतियों तथा उसके अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जाँच के आधार पर यह पाया गया है कि कंपनी ने अपने ऊपर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित अधिनियम का अनुपालन किया है :
- (a) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety & Standards Act, 2006)
- मैंने निदेशक मंडल की बैठकों (SS-1) तथा सामान्य बैठकों (SS-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है। कंपनी की इक्विटी शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं, अतः लिस्टिंग से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का सामान्यतः पालन किया है।
- C. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :
- (a) कंपनी का निदेशक मंडल विशेषज्ञ निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी एवं विशेषज्ञ निदेशक का उपर्युक्त संतुलन बनाए रखते हुए विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपन्न किए गए।
- (b) सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक आयोजित करने हेतु समुचित सूचना दी गई। बैठक के एजेंडा तथा उस पर विस्तृत विवरण कम से कम सात दिन पूर्व प्रेषित किए गए (या आवश्यकतानुसार, तदनुसार अनुपालनों के साथ, अल्प सूचना पर बैठक आयोजित की गई) बैठक से पूर्व एजेंडा विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठकों में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।

- (c) बैठक की कार्यवृत्तियों के अनुसार, जिन्हें विधिवत रिकॉर्ड किया गया एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रदत्त प्रस्तुति के अनुसार, बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।
- D. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, प्रतिनिधित्व एवं निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अनुपालन रिपोर्टों/प्रमाण-पत्रों की समीक्षा के आधार पर मेरी राय में कंपनी के पास अपनी कार्यप्रणाली एवं आकार के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने के लिए सक्षम हैं।
- E. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया :
- a. 25 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 8/- की सीमा-युक्त वापसी (लाभांश) को स्वीकृति प्रदान की गई।
- (b) 25 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के माध्यम से एम/एस एस. एन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 5 वर्षों की अवधि के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

यह रिपोर्ट मेरे इसी दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसका अभिन्न भाग है।

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान : गाजियाबाद

(नीलम गुप्ता)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस : 3135
सीपी : 6950
पीआरएन : 6760 / 2025
यूडीआईएन : F003135G000777645

**सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
के वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ।**

सेवा में,

सदस्यगण

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

विषय : अनुपालनों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. कंपनी अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, सचिवीय मानकों के प्रावधानों का रख-रखाव एवं अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षण कर अपनी राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसा लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं और उपायों का पालन किया जो सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त थे। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में तथ्य सही रूप से परीलक्षित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और अभ्यास हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी द्वारा हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराए गए पुस्तकों, अभिलेखों एवं दस्तावेजों पर भी भरोसा किया है।
4. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का हमने सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ आवश्यकता पड़ी, वहाँ हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता (Future Viability) के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही यह इस बात की गारंटी है कि कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का निष्पादन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से कर रहा है।

नीलम गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स की ओर से

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान : गाजियाबाद

(नीलम गुप्ता)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफसीएस : 3135
सीपी : 6950
पीआरएन : 6760 / 2025
यूडीआईएन : F003135G000777645

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

के सदस्यों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय :

हमने सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेंस शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हुए और कम्पनी के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, (लेखा मानक) नियम 2021 के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति के अनुसार (लेखा मानक) और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है, जो समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि एवं रोकड़ प्रवाह हेतु है।

राय के लिए आधार :

हमने अधिनियम (SAs)की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया गया। मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं, उसके अधीन बनाये गये, हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय पर आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी :

- वित्तीय सूचनाओं के अतिरिक्त कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।
- वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करती है और हम निष्कर्ष अथवा आश्वासन के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

- वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, हमारे उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को अमल में लाना है और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अंकक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी में यह प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से गलत है।

यदि हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना गलत प्रदर्शित की गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है, हालांकि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) (अधिनियम) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य हैं, के सम्बन्ध में जो वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नगदी प्रवाह लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन और अभिलेखों का रख-रखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन, आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रस्तुतीकरण के रूप में जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि लागू होने से सम्बन्धित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन अथवा कम्पनी को बन्द करने का निर्णय रखते हैं। संचालन अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकक्षण के बारे में उचित स्थिति प्रस्तुत करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, और एक अंकक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार किया गया अंकक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती हैं, का पता लगायेगा। इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं और हमने :

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों में गलत विवरण के जोखिमों को प्रस्तुत कर उनका आंकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अंकेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करें, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के पर्याप्त एवं उचित हों, धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, गलत बयानी या आन्तरिक नियन्त्रण की अपरलेखन भी सम्मिलित हो सकती है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करें, जो परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियन्त्रणों के परिचालन हेतु प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

प्रयोग की जा रही है लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों और सम्बन्धित परिणामों की तर्कशीलता का मूल्यांकन प्रबन्धक द्वारा किया गया।

प्रबन्धन और निदेशक मण्डल द्वारा लेखांकन से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के लम्बे समय तक जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वित्तीय लेखों में अनिश्चितता परिलक्षित है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट से वित्तीय विवरणों में सम्बन्धित खुलासे पर ध्यान आकर्षित करना है और यदि इस प्रकार के खुलासे में ऐसा करने में अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों से कम्पनी के लिए एक सतर्क रहने वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है।

प्रकटीकरणों सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना का मूल्यांकन, और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेन-देन को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ एवं अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह भी आश्वस्त करते हैं कि हमने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध

में प्रसांगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उन्हें सभी सम्बन्धों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए कहा है, जो उचित रूप से हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, सुरक्षा उपाय से सम्बन्धित हो।

अन्य मामलें

इन वित्तीय विवरणों में सम्मिलित 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है, जिन्होंने 22 अगस्त, 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है। तुलनात्मक वित्तीय जानकारी पर उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय पृथक नहीं है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षण रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हम अनुलग्नक ए में आदेश पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां पर भी लागू हो।
2. अधिनियम की धारा 143 की (3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—
 - अ. हमने वे सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए गए हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ब. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखा बही उचित तरीके से तैयार की हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के लिए गए परीक्षण से प्रकट होते हैं। कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर मान्य है।
 - स. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
 - द. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
 - य. 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च 2025 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

- र. खातों के रख-रखाव और उससे जुड़े मामलों से सम्बन्धित संशोधन जैसा पैराग्राफ (ब) में वर्णित है।
- ल. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियन्त्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक "ब" को देखें।
- व. अधिनियम की धारा 197(16) के संशोधन के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में संशोधित हमारी राय में कम्पनी एक निजी कम्पनी है जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है।
- श. कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (1) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित विधिक वाद-विवाद पर स्पष्टीकरण दिया, जो वित्तीय विवरण के नोट सं0:28 में निहित है।
 - (2) कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई भौतिक पूर्वानुमानिक हानि हुई हो – वित्तीय विवरण 28 देखें।
 - (3) कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया है, यदि यह हस्तान्तरण आवश्यक है। वित्तीय विवरण 28 देखें।
 - (4)
 1. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है, कि कम्पनी द्वारा कोई भी धनराशि अग्रिम अथवा उधार या तो निवेश नहीं की गई है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों, या इकाई/इकाईयों में जिसमें विदेश संस्था मध्यस्थ के रूप में शामिल हो, चाहें वह लिखित या अन्य किसी रूप में अभिलेखित हो कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या कम्पनी द्वारा उसकी ओर से किसी भी रूप में चिन्हित की संस्था/संस्थाओं को कोई गारन्टी अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा आदि प्रदान की गई हो, नहीं दी गई है।
 2. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी का प्रतिनिधित्व एवं परिचालन किया है, कि कम्पनी द्वारा किसी भी विदेशी संस्था/संस्थान सहित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों से लिखित या किसी भी अन्य रूप में अभिलेखित की गई हो, अथवा कम्पनी द्वारा किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से चिन्हित कर व्यक्ति/व्यक्तियों/या अन्य संस्था/संस्थान को किसी भी कोई गारन्टी अथवा सुरक्षा जैसी कोई सेवा में उधार अथवा निवेश करेगी।

3. सम्पन्न किए गए ऑडिट / लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं आया जिससे यह प्रकट हो सके, नियम 11 (ई) के उपखण्ड (1) एवं (2) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण गलत निर्णय सम्मिलित हो।
5. विगत वर्ष में प्रस्तावित अन्तिम लाभांश एवं वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप ही लागू पाया गया है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या : 38 में उल्लिखित किया गया है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वर्ष के लिए अन्तिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु अधीन है। उक्त लाभांश अधिनियम की धारा 123 में जैसा लागू है, के अनुरूप ही देय है।

6. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी सम्मिलित है, कम्पनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों को बनाने हेतु जिस लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, उसमें ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और पूरे समय काम करता है, सिवाय इसके कि सॉफ्टवेयर में वर्ष के सभी प्रासंगिक लेन-देन दर्ज हो –
1. इस सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में किसी भी प्रत्यक्ष डाटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए एप्लीकेशन स्तर पर और डाटाबेस स्तर पर कुछ तालिकाओं के लिए ऑडिट ट्रेल सुविधा नहीं पाई गई।
2. क्रय अभिलेख बनाये रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।

इसके अतिरिक्त हमारे ऑडिट के दौरान उपरोक्त के अधीन, हमें उस अवधि के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का उदाहरण नहीं मिला जिसके लिए ऑडिट ट्रेल फीचर काम कर रहा था।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है ऑडिट ट्रेल को कम्पनी द्वारा रिकार्ड करने हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप संरक्षित किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA की धारा 378 ZG में निर्दिष्ट विवरण हमें अनुलग्नक स में दिया है।

कृते एस.एन. धवन एण्ड क. एल.एल.पी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(Registration No. 000050N/N500045)

ह0/—

विनेश जैन

साझेदार

(Membership No. 087701)

(UDIN)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए “सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लि.” सदस्यों को दिये गये वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट के अन्य वैधानिक और नियमक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अन्तर्गत पैराग्राफ-1 में संदर्भित है)

1. कम्पनी की सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में
 - ए. अ. कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित एवं मात्रात्मक विवरण स्थापित स्थान सहित तैयार किए गए हैं।
 - ब. कम्पनी द्वारा अमूर्त सम्पत्तियों के पूर्ण एवं उचित विवरण तैयार किए गए हैं।
 - बी. वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई है। हमारी राय में, कम्पनी आकार और इसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
 - सी. हमें उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं सूचनाओं के आधार पर कम्पनी के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, (उन सम्पत्तियों के अतिरिक्त जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित हैं) तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (i)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते।
 - डी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अमूर्त सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया है।
 - ई. बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बेनामी सम्पत्ति रखने के लिए कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू नहीं की गई अथवा लम्बित नहीं है।
2. अ. प्रबन्धन ने वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर स्टॉक/इन्वेन्ट्री का भौतिक सत्यापन किया है (तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर एवं वर्ष के अन्त में तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक के लिए प्रबन्धन द्वारा लिखित पुष्टि प्राप्त की गई है।) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि प्रबन्धन द्वारा इस तरह के सत्यापन की प्रक्रिया उचित है और अभिलेखों की तुलना में स्टॉक में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

- ब. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण कम्पनी को चालू परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर रूपये 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है, तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (ii) (b) की प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारन्टी अथवा सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है या कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया गया है। तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (iii) (a)-(f) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
4. कम्पनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, न ही निवेश किया है और नहीं किसी प्रकार की कोई गारन्टी अथवा प्रतिभूतियाँ प्रदान की हैं, तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (iv) प्रावधान लागू नहीं होते।
5. हमारी राय में कम्पनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, और न ही कम्पनी के पास वर्ष के दौरान कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे जमा माना जाए। इसके अतिरिक्त कम्पनी के पास वर्ष के आरम्भ में कोई दावा की गई जमा राशि नहीं थी। तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (v) के प्रावधान लागू नहीं होते।
6. केन्द्र सरकार ने कम्पनी के उत्पादों/सेवाओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (i) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के रख-रखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड-3 (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते।
7. वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में :-
 ए. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी वर्ष के दौरान उचित अथारिटीज के पास माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जैसा कि कम्पनी पर लागू होता है। इसके सम्बन्ध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी जो वर्ष के अन्त में देय होने की दिनांक से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।
- हमारी जानकारी में लाया गया कि वर्ष के दौरान कम्पनी के परिचालन से कर्मचारियों के राज्य बीमा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य वर्धित और बिक्रीकर के लिए कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई।
- बी. हमारी जानकारी में लाया गया है कि उपखण्ड क में निर्दिष्ट कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो।

8. हमारी जानकारी में दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्ण अलिखित आय से सम्बन्धित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया है।
9. ए. हमें प्रदत्त की गई जानकारी के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी ऋण अथवा अन्य उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- बी. हमें प्रदत्त की गई जानकारी के अनुसार कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया है।
- सी. हमें प्रदत्त की गई जानकारी के अनुसार कम्पनी द्वारा लिए गए साविध ऋण का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए ऋण प्राप्त किया गया था हालांकि जिन निधियों की तत्काल उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं थी, उन्हें आवेदन लम्बित रहने तक अस्थायी रूप से निवेशित किया गया था।
- डी. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर संग्रहित की गई धनराशि प्रथम दृष्टया कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक प्रायोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
- ई. कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, तदनुसार आदेश के खण्ड 3(ix)(एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- एफ. कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, तदनुसार आदेश के खण्ड 3(ix)(ई) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
10. ए. कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन एकत्रित नहीं किया गया। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(x)(ए) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- बी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंश या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह, आंशिक रूप से अथवा वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(x)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
11. ए. हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी और कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी इस वर्ष के दौरान न तो देखी गई है और न ही इसकी कोई रिपोर्ट की गई है।

- ब. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई भी रिपोर्ट, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित फॉर्म ADT-4 में केन्द्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।
- ग. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xii)(a)-(c) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(12) हमारे मतानुसार और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी लेनदेन जहाँ लागू होता है, अधिनियम की धारा 188 का पालन करते हुए किए गए हैं और आवश्यक विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए लागू लेखा मानकों के अनुसार दिए गए हैं। चूंकि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अतः इस पर अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(13)

- (a) हमारे मत में और प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास उसके व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।
- (b) हमने लेखा परीक्षण अवधि के लिये जारी कम्पनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (c) हमारे मत में और प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, अतः अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(15)

- (a) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (b) कंपनी ने वर्ष दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्तीय गतिविधियाँ नहीं की हैं।
- (c) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है। अतः आदेश की धारा 3(xvi)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (d) समूह में कोई भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) शामिल नहीं है।

- (16) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और इससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (17) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) प्राप्त जानकारी, स्पष्टीकरणों, वित्तीय, अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति एवं वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ प्राप्त अन्य सूचनाओं, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं की हमारी जानकारी तथा अनुमानों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह विश्वास हो कि आर्थिक चिट्ठा की तारीख को या उसके एक वर्ष के भीतर देय दायित्वों को पूरा करने में कंपनी अक्षम हो सकती है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता को लेकर कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन कि आर्थिक चिट्ठा की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय सभी दायित्वों का भुगतान कंपनी समय पर कर सकेगी।
- (xx)
- (a) चल रहे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, कंपनी के पास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) की दूसरी शर्त के अनुपालन में अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी फंड में स्थानांतरण हेतु कोई अव्ययित राशि नहीं है।
- (b) चल रहे प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के अनुपालन में किसी विशेष खाते में स्थानांतरण हेतु CSR की कोई अव्ययित राशि नहीं है।
- (xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उपक्रम नहीं है और कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश की धारा 3(xxix) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 15 जुलाई, 2025

कृते एस.एन. धवन एण्ड क. एल.एल.पी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 000050N/N500045)

ह0/-
विनेश जैन
साझेदार
(Membership No. 087701)
(UDIN)

परिशिष्ट बी – सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के उपखंड (i) के तहत

(हमारी इसी तिथि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैरा 2(जी) में उल्लिखित)

हमारे सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ-साथ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का भी परीक्षण किया है।

प्रबंधन और शासन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने का कार्य करें, जो कि ICAI द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट ऑन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार मापदंडों पर आधारित हो।

इन जिम्मेदारियों में शामिल है – कंपनी के व्यवसाय की व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर संकलन शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने यह लेखा परीक्षा गाइडेंस नोट और धारा 143(10) के अंतर्गत लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है।

इन मानकों और गाइडेंस नोट की मांग है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह सुनिश्चित करने हेतु लेखा परीक्षा योजना बनाएं कि कंपनी में यथोचित रूप से प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कार्यशील हैं या नहीं।

हमारे परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल है – नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी कार्यशीलता का मूल्यांकन करने हेतु साक्ष्य प्राप्त करना। इसमें नियंत्रणों की समझ विकसित करना, संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना, डिजाइन और प्रभावशीलता का परीक्षण करना, तथा निर्णय के अनुसार उपयुक्त प्रक्रियाओं का चयन करना शामिल है।

हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से तात्पर्य है कि ऐसी प्रक्रिया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग विश्वसनीय हो और वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हों।

इसमें ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

1. रिकॉर्ड्स का ऐसा अनुरक्षण सुनिश्चित करती हैं जो उचित विवरण में लेन-देन और परिसंपत्तियों की स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हो,
2. यह सुनिश्चित करती हैं कि लेन-देन उपर्युक्त रूप से रिकॉर्ड किए गए हों, जिससे वित्तीय विवरणों का सही रूप में निर्माण हो सके और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल अधिकृत प्रबंधन/निदेशकों की अनुमति से ही हो,
3. तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान हो सके जिससे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की कुछ स्वाभाविक सीमाएँ होती हैं। इनमें नियंत्रणों के मिलकर उल्लंघन (collusion) या प्रबंधन द्वारा उनके अनुचित रूप से दरकिनार करने की संभावना शामिल होती है। इसके कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के चलते गंभीर चूकें (Material Misstatements) हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता।

साथ ही, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों तक विस्तार करने पर जोखिम बना रहता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण ये नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कमजोर पड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, तथा हमारी जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में विद्यमान हैं और 31 मार्च, 2025 को यह नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। यह मूल्यांकन कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों पर आधारित है, जो ICAI द्वारा जारी गाइडेंस नोट में उल्लिखित ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

कृते एस.एन. धवन एण्ड क. एल.एल.पी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 000050N/N500045)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 15 जुलाई, 2025

ह0/-
विनेश जैन
साझेदार (पार्टनर)
(Membership No. 087701)
(UDIN)

परिशिष्ट 'सी' – स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के पैरा 3 में उल्लिखित)

1. माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त देयों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 16 में उजागर की गई है। हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी देनदारी अवसूली में संदिग्ध (doubtful) नहीं मानी गई है।
2. हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई नकद शेष (cash on hand) नहीं है। इसी प्रकार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियाँ (Investment Securities) भी नहीं हैं।
3. दिनांक 31 मार्च, 2025 को कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण कंपनी के उसी तिथि के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
4. हमारे विचार में, और हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
5. हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
6. हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई चंदा या सदस्यता राशि (donations or subscriptions) नहीं दी है।

कृते एस.एन. धवन एण्ड क. एल.एल.पी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 000050N/N500045)

ह0/-

विनेश जैन

साझेदार (पार्टनर)

(Membership No. 087701)

(UDIN)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2025

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
A-	शेयर और देयताएं			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	3,181.78	2,790.00
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	7,526.53	7,194.90
			<u>10,708.31</u>	<u>9,984.90</u>
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन	39	52.36	27.18
	3. अस्थिगत अनुदान	5	1,341.26	725.19
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घकालीन उधार	6	927.72	268.89
			<u>927.72</u>	<u>268.89</u>
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	7	29.93	10,119.65
	(b) व्यापारिक देनदार	8		
	(i) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि		95.15	92.88
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		5,480.60	3,238.84
	(C) अन्य तरल देयताएं	9	2,774.35	2,292.88
	(d) लघु अवधि प्रावधान	10	43.21	89.16
			<u>8,423.24</u>	<u>15,833.41</u>
B-	आस्तियां		<u>21,452.89</u>	<u>26,839.57</u>
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	11(a)	3,626.39	1,551.41
	(ii) अमूर्त संपत्ति	11(b)	—	—
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	12	151.97	164.84
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	13	274.69	74.64
	(e) अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	14	1,026.26	143.60
			<u>5,079.31</u>	<u>1,934.49</u>
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया		1,299.70	1,001.93
	(b) व्यापारिक देनदार	15	4,051.86	9,899.36
	(c) रोकड़ और रोकड़ समरूप	16	10,245.06	13,364.52
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	17	297.80	134.52
	(e) अन्य चल आस्तियां	18	479.16	504.75
		19	16,373.58	24,905.08
			<u>21,452.89</u>	<u>26,839.57</u>

कुल योग

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते : एस.एन. धवन एण्ड कं. एल.एल.पी.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजि. नं. 000050N/N500045

ह./—

विनेश जैन

साझेदार

Membership No.: 087701

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

कृते निदेशक मण्डल

ह./—

शिव प्रताप

निदेशक

DIN : 07894230

ह./—

वरुण वर्मा

कम्पनी सचिव

Membership No.: F10508

ह./—

डॉ. प्रफुल्ल कुमार शान्ति लाल भानवाड़िया

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

DIN : 07477658

ह./—

सुदीप कुमार भौमिक

सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2025

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	20	101,276.47	105,716.50
2.	अन्य आय	21	896.04	762.37
3.	कुल आय (1+2)		102,172.51	106,478.87
4.	खर्चे			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	22	1,784.30	7,863.11
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	23	93,427.66	89,168.11
	(c) तैयार माल की सूची और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन	24	(340.80)	77.61
	(d) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	25	1,206.76	1,092.02
	(e) व्यावसायिक लागत	26	126.98	586.34
	(f) हास एवं ऋणमुक्त खर्चे	11	459.04	214.36
	(g) अन्य खर्चे	27	4,757.87	5267.13
	कुल खर्चे		1,01,421.81	1,04,268.63
5.	कर से पूर्व आय (3-4)		750.70	2,210.24
6.	कर सम्बन्धी खर्चे			
	(a) वर्तमान कर		183.00	463.00
	(b) पहले के वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान		—	—
	(c) स्थगित कर (कुल)	12	12.87	12.94
	कुल खर्चे		195.87	475.94
7.	सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5-6)		554.83	1,734.30
8.	प्रति अंश आय	31		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		18.53	61.92
	(b) डायल्यूटेड		18.51	61.76

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते : एस.एन. धवन एण्ड कं. एल.एल.पी.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजि. नं. 000050N/N500045

ह./—

विनेश जैन

साझेदार

Membership No.: 087701

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

कृते निदेशक मण्डल

ह./—

शिव प्रताप

निदेशक

DIN : 07894230

ह./—

वरुण वर्मा

कम्पनी सचिव

Membership No.: F10508

ह./—

डॉ. प्रफुल्ल कुमार शान्तिलाल भानवाड़िया

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

DIN : 07477658

ह./—

सुदीप कुमार भौमिक

सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2025

CIN : U01403UP2014PTC066595

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
A.	व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	कर से पूर्व लाभ	750.70	2,210.24
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(782.38)	(602.82)
	व्यावसायिक लागत	126.98	586.34
	कर्मचारी हित खर्च	(17.25)	
	ह्रास खर्च	(40.83)	(85.32)
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	459.04	214.36
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	496.26	2,322.80
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(297.77)	178.30
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	5,847.50	563.60
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(51.84)	(19.15)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(163.28)	13.24
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	—	44.18
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(7.72)	(27.35)
	देय व्यापार में वृद्धि	2,261.28	(288.29)
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	1,025.97	1,026.57
	कुल आयकर भुगतान	9,110.40	3,813.90
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(369.44)	(181.56)
		8,740.96	3,632.34
B.	निवेश से रोकड़ प्राप्ति		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	1,255.39	(4,724.30)
	अचल आस्तियों की खरीद	(2,913.97)	(360.34)
	असम्पत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री	42.11	
	ब्याज प्राप्ति	807.97	443.00
	निवेश में व्यय कुल रोकड़	(808.50)	(4,641.64)
C.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	364.60	(117.15)
	अनुदान प्राप्त हुआ	838.90	
	राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया अनुदान	(324.95)	
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	52.36	27.18
	लम्बी अवधि के उधार से प्राप्त आय	61.95	268.89
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	(9,492.84)	638.92
	लाभांश कर सहित भुगतान	(227.91)	(208.76)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(185.98)	(576.43)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	(8,913.87)	32.65
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	(981.41)	(976.65)
	वर्ष के शुरू में रोकड़	1,254.97	2,231.62
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	273.56	1,254.97
	रोकड़ में सम्मिलित		
	चालू खाता	273.56	1,254.97
	बचत खाता	273.56	9.27
	कुल रोकड़ प्रवाह	4.57	1,704.85
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप से नहीं माना बैंक बैलेंस	679.57	
	बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है।		
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (18 नोट)	9,287.36	10,395.43
	बैंक में बचत खाते की धनराशि का उपयोग केवल जीका परियोजना के लिए किया जा सकता है।	10,245.06	13,364.52

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते : एस.एन. धवन एण्ड कं. एल.एल.पी.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजि. नं. 000050N/N500045

ह./—

विनेश जैन

साझेदार

Membership No.: 087701

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

कृते निदेशक मण्डल

ह./—

शिवा प्रताप

निदेशक

DIN : 07894230

ह./—

वरुण वर्मा

कम्पनी सचिव

Membership No.: F10508

ह./—

डॉ. प्रफुल्ल कुमार शान्तीलाल भानवाड़िया

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

DIN : 07477658

ह./—

सुदीप कुमार भौमिक

सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(a) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए हैं। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA के तहत निर्माता कंपनी नियम 2021 के रूप में जानी जाने वाली निर्माता कंपनियों पर लागू है। वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

(b) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(d) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है। जिसमें लाभ-हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्च, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

(e) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(f) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(g) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित हॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्च जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्च तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्च जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(h) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्च और आरोग्य ब्याज की राशि शामिल है।

(i) ह्रास एवं ऋणमुक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	—
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	—
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	—
कार्यालय उपकरण	05	—

मूल्य—ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रुपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

(j) रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्च सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

(k) अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता है तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ—हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

(I) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है।

(b) निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्ट्रेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

(d) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(m) प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

(n) आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए हैं। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

(o) ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्च मानकर लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

(p) सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए कि यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

(q) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्ट्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

(r) लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

(s) महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

(t) संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति		31 मार्च, 2024 को स्थिति	
		अंशों की संख्या राशि (₹ लाख में)		अंशों की संख्या राशि (₹ लाख में)	
(a).	अधिकृत अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	45.00	4,500.00	45.00	4,500.00
(b)	जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी प्रति समता अंश राशि ₹. 100/-	31.82	3,181.78	27.90	2,790.00

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (v) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के ₹. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति		31 मार्च, 2024 को स्थिति	
		अंशों की संख्या राशि (₹ लाख में)		अंशों की संख्या राशि (₹ लाख में)	
	वर्ष/अवधि की शुरुआत के बकाया अंश	27.90	2,790.00	28.56	2,856.16
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	8.42	841.75	6.65	664.57
	वर्ष के दौरान निरस्त एवं समर्पण अंश	(4.50)	(449.97)	(7.31)	(730.73)
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	31.82	3,181.78	27.90	2,790.00

(iii) वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्ष के दौरान नकद या बोनस शेयरों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिये कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(iv) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूँजी नहीं है।

(v) “कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट होता है कि कोई सदस्य, सदस्य के रूप में अपनी पात्रता बनाए रखने में असफल रहा है, तो बोर्ड उस सदस्य को निर्देश देगा कि वह कंपनी को अपने शेयर मूल्य पर या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य मूल्य पर समर्पित करें। समर्पित इक्विटी शेयरों को कंपनी की संपत्ति माना जाएगा और उन्हें सदस्यों को बेचा जा सकता है या बोर्ड की इच्छानुसार रद्द किया जा सकता है।”

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(vi) प्रमोटर्स द्वारा रखे गये शेयरों का विवरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमोटर्स का नाम	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024		परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	
1	दिग्विजय सिंह	150	0.005	150	0.005	-0.066%
2	चन्द्रपाल सिंह	—	—	60	0.002	-0.215%
3	मुरारीलाल	127	0.004	127	0.004	0.044%
4	प्रवीन कुमार	60	0.002	60	0.002	-0.026%
5	मनोहर लाल	30	0.001	30	0.001	-0.013%
6	विनीता दुबे	160	0.005	160	0.005	0.029%
7	भगवान सहाय	—	—	74	0.002	-0.165%
8	चन्द्रभान सिंह	—	—	86	0.003	-0.308%

नोट : प्रवर्तक का अर्थ है कंपनियों अधिनियम, 2013 में वर्णित परिभाषा के अनुसार।

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a).	सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक रहतिया	7,584.88	6,073.78
	जोड़ें लाभ हानि खातों के अधिशेष से हस्तान्तरित अंतिम शेष	—	1,511.10
		<u>7,584.88</u>	<u>7,584.88</u>
(b)	लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	(389.98)	(413.24)
	अवधि का लाभ	554.83	1,734.30
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (₹. 8 प्रति अंश) वर्ष 2024-25 और (₹. 7 प्रति अंश) वर्ष 2023-24	223.20	199.94
	(ii) सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।	—	1,511.10
	अंतिम शेष	(58.35)	(389.98)
	योग (a+b)	<u>7,526.53</u>	<u>7,194.90</u>

Note 5 : आस्थगित अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	725.19	501.24
	जोड़ें वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट : 32 देखें)	914.40	418.82
	घटाये : मूल्यहास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया (नोट : 11 देखें)	298.33	194.87
	अन्तिम रहतिया	<u>1,341.26</u>	<u>725.19</u>

Note 6 : दीर्घकालीन ऋण सुरक्षित सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं। (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a).	जीका परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सावधि ऋण घटायें : दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त ऋण	957.65	895.70
	घटाएं : दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शुद्ध दीर्घकालिक ऋण	29.93	626.81
		<u>927.72</u>	<u>268.89</u>

नोट : NDDB से टर्म लोन :

₹. 1,478.16 लाख का टर्म लोन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी हेतु वित्तीय सहायता के लिए पिछले वर्ष स्वीकृत किया गया था। ₹. 957.65 लाख के ऋण 31 मार्च, 2025 तक

(1) **ब्याज दर :**

यह ऋण 1.50% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर दिया गया है, जो मासिक आधार पर देय है।

यदि किस्तों के भुगतान में चूक होती है, तो बकाया राशि पर निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 10% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जायेगा।

(2) **प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण :**

ऋण कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की चल संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों पर प्रथम प्रभार के माध्यम से सुरक्षित है, जो कंपनी के बैंकों के पक्ष में पहले से बनाए गए और/या बनाए जाने वाले प्रभारों के अधीन है।

(3) **पुनर्भुगतान की शर्तें :**

टर्म लोन को 8 वर्षों की अवधि में 96 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो पहली किस्त की तिथि (यानि 11 जनवरी, 2024) कंपनी ने ऋण की स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष ₹. 626.81 लाख को अल्पालिक उधारी के रूप में वर्गीकृत किया था।

अतिरिक्त टिप्पणी :

- (a) कंपनी ने किसी ऋणदाता के प्रति चूक नहीं की है।
 (b) कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
 (c) ऋण का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु किया गया है।
 (d) कोई शुल्क पंजीकरण लंबित नहीं है।

Note 7 : अल्पकालिक ऋण (Short-term borrowings)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a).	बैंकों से असुरक्षित		
i.	बिल डिस्काउंटिंग सुविधा बैंक से (नीचे दिए गए नोट (i) देखें)	—	9,492.84
b.	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट 6 देखें)	29.93	626.81
		<u>29.93</u>	<u>10,119.65</u>

(i) कंपनी ने बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा बैंक से चालान की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए प्राप्त की है। इस पर औसत ब्याज दर 6.50% प्रतिवर्ष है (पिछले वर्ष : 5.31%)।

(ii) कंपनी को HDFC बैंक से 490 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है, जो 12 महीने की अवधि के लिए है और मांग पर चुकाई जा सकती है। चालू वर्ष में ब्याज दर 6.25% है (पिछले वर्ष भी 6.25%)। यह ऋण बैंक में सावधि जमा और कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 8 : दीर्घकालीन के लिए प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	व्यापार देयताएँ (Trade Payables)		
a.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया देय राशि (नोट 35 देखें):	95.15	92.88
b.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया:	5,480.6	3,238.84
		<u>5,575.75</u>	<u>3,331.72</u>

कुल व्यापार देयताएँ

(i) व्यापार देयताओं की परिपक्वता अनुसूची :

31 मार्च 2025 के अनुसार :

विवरण	बिना बिल/ उपार्जित	1 वर्ष से कम	1-1 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल देयता	—	95.15	—	—	—	95.15
अन्य लेनदारों की कुल देयता	1,172.78	4,286.11	16.43	2.55	2.73	5,480.60
विवादित देयताएँ	—	—	—	—	—	—
कुल	1,172.78	4,381.26	16.43	2.55	2.73	5,575.75

31 मार्च 2024 के अनुसार :

विवरण	बिना बिल/ उपार्जित	1 वर्ष से कम	1-1 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल देयता	—	92.88	—	—	—	92.88
अन्य लेनदारों की कुल देयता	387.47	2,827.93	2.3	3.27	17.87	3,238.84
विवादित देयताएँ	—	—	—	—	—	—
कुल	387.47	2,920.81	2.3	3.27	17.87	3,331.72

नोट : ऊपर दी गई परिपक्वता लेन-देन की तिथि से मापी गई है।

(ii) उपरोक्त व्यापार देयताओं से संबंधित पक्षों को देय राशि भी शामिल है (नोट 34 देखें):	31 मार्च, 2025 को स्थिति 0.67	31 मार्च, 2024 को स्थिति 0.67
--	-------------------------------------	-------------------------------------

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 9 : अन्य वर्तमान देनदारियाँ (Other Current Liabilities)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
a.	अवितरित लाभांश	4.56	9.27
b.	वैधानिक बकाया	40.65	57.5
c.	संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद पर देय	—	80.34
d.	अनुदान प्राप्त (उपयोग के बाद) (नोट 32)	677.59	1,078.04
e.	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	1,858.05	974.54
f.	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	169.65	34.18
g.	उधारी पर अर्जित लेकिन अभी देय नहीं ब्याज	0.01	59.01
h.	पट्टा समानीकरण आरक्षित	5.34	—
i.	अन्य देनदारियाँ*	18.50	—
	कुल	2774.35	2292.88

उपयोग न किए गए उधार फंड पर अर्जित ब्याज जो एनडीडीबी को वापस किया जाना है।

Note 10 : अल्पाकालिक प्रावधान (Short-Term Provisions)

a.	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i)	प्रतिपूर्ति योग्य अनुपस्थिति के लिए (शुद्ध) :	43.21	50.93
b.	आयकर के लिए प्रावधान (एडवांस टैक्स के बाद) :	0	38.23
		43.21	89.16

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 11: अचल सम्पत्ति (राशि ₹ लाख में)

विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
	As at 01 April, 2024	As at 31 March 2025	As at 01 April, 2024	Depreciation Charge for the Year	Deletion	As at 31 March 2025	As at 31 March 2024	
(a) मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)								
सयंत्र एवं उपकरण	6,103.97 (5,278.74)	8,561.27 (6,103.97)	4,597.73 (4,209.19)	722.44 (388.54)	317.88 (-)	5,002.29 (4,597.73)	3,558.98 (1,506.24)	1,506.24 (1,069.55)
फर्नीचर व फिक्सचर	277.08 (277.08)	267.00 (277.08)	275.07 (272.59)	3.60 (2.48)	16.95 (-)	261.72 (275.07)	5.28 (2.01)	2.01 (4.49)
दफ्तर के उपकरण	45.23 (45.23)	27.94 (45.23)	44.21 (43.25)	1.17 (0.96)	18.39 (-)	26.99 (44.21)	0.95 (1.02)	1.02 (1.98)
कम्प्यूटर	(1,627.96) (1,593.71)	1,628.00 (1,627.96)	1,585.82 (1,568.57)	30.16 (17.25)	49.16 (-)	1,566.82 (1,585.82)	61.18 (42.14)	42.14 (25.14)
कुल (A)	8,054.24 (7,194.76)	10,484.21 (8,054.24)	6,502.83 (6,093.60)	757.37 (409.23)	402.38 (-)	6,857.82 (6,502.83)	3,626.39 (1,551.41)	1,551.41 (1,101.16)
गत वर्ष								
(b) अमूर्त सम्पत्ति (अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	349.91 (349.91)	349.91 (349.91)	349.91 (349.91)	- (-)	- (-)	349.91 (349.91)	- (-)	- (-)
कुल (B)	349.91 (349.91)	349.91 (349.91)	349.91 (349.91)	- (-)	- (-)	349.91 (349.91)	- (-)	- (-)
गत वर्ष								

नोट :

(i) मूल्यहास और परिशोधन खर्च

मूर्त सम्पत्ति

अमूर्त सम्पत्ति

कम मूल्य हास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से

प्राप्त कर लिया

31 मार्च, 2025
को स्थिति

31 मार्च, 2024
को स्थिति

757.37

409.23

-

-

298.33

194.87

459.04

214.36

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 32 देखें): (राशि ₹ लाख में)

विवरण	Gross Block		Accumulated Depreciation		Net Block	
	As at 01 April, 2024	Deletion	Charge For the Year	As at 01 April, 2025	As at 01 April, 2025	As at 01 April, 2024
(a) मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)						
संयंत्र एवं उपकरण	2,054.59 (1,636.33)	912.88 (418.26)	298.09 (194.80)	2,967.47 (2,054.59)	1,627.98 (1,329.89)	724.70 (501.24)
दफ्तर के उपकरण	33.32 (33.32)	(-)	(-)	33.32 (33.32)	33.32 (33.32)	(-)
फर्नीचर व फिक्सचर	259.02 (259.02)	16.95 (-)	(-)	242.07 (259.02)	242.07 (259.02)	(-)
कम्प्यूटर	1,008.99 (1,008.43)	1.52 (0.56)	0.24 (0.07)	996.83 (1,008.99)	995.06 (1,008.50)	0.49 (-)
अमूर्त सम्पत्ति	207.66 (207.66)	(-)	(-)	207.66 (207.66)	207.66 (207.66)	(-)
योग	3,563.58 (3,144.76)	914.40 (418.82)	298.33 (194.87)	4,447.35 (3,563.58)	3,106.09 (2,888.39)	1,341.26 (725.19)

(iii) विगत वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक) में दर्शाए गये है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 12 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
a.	प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	11.00	13.00
b.	खाता पुस्तकों एवं सम्पत्ति, प्लान्ट उपकरणों पर कर के मध्य अन्तर	139.63	151.84
c.	संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधान	1.34	—
		<u>151.97</u>	<u>164.84</u>
	शुद्ध कर सम्पत्ति (नेट)		
	स्थगित कर संपत्तियों का कर प्रभाव (जैसा कि नीचे दिया गया है) :	12.87	12.94

Note 13 : दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (सुरक्षित नहीं, अच्छा मना गया) :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	सुरक्षा जमा	21.80	40.24
(b)	विरोध के अंतर्गत जमा राशि	13.66	18.57
(c)	अग्रिम कर (स्रोत पर कर कटौती सहित)	164.04	15.83
(d)	पूर्व भुगतान खर्च	75.19	—
		<u>274.69</u>	<u>74.64</u>

Note 14 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	बैंकों में सावधि जमा	1012.7	143.6
(b)	बैंक जमा पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	13.56	0
		<u>1026.26</u>	<u>143.6</u>

नोट : इनमें से रु. 162.70 लाख (पिछले वर्ष रु. 143.60 लाख) की सावधि जमा बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के विरुद्ध गिरवी रखी गई (नोट 7 देखें) :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 15 : भंडार (इनवेंट्रीज)

(लागत या शुद्ध साकार मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यांकित)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	कच्चा माल (पैकेजिंग सामग्री सहित)	7.86	—
(b)	तैयारी माल — घी	244.63	158.5
(c)	व्यापारिक वस्तुएँ (स्टॉक इन ट्रेड) — कच्चा दूध (जिसमें ट्रांजिट में — रु. 376.08 लाख, पिछला वर्ष रु. 206.44 लाख) पशु आहार, खनिज मिश्रण और अन्य	767.29	542.72
(d)	स्टोर्स और स्पेयर्स	168.48	138.38
	कुल	111.44	162.33
		<u>1,299.70</u>	<u>1,001.93</u>

Note 16 : व्यापार देनदारियाँ (Trade Receivables)

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	चालान किए गए व्यापार देनदार	4,051.86	9,899.36
(b)	बिना चालान के व्यापार देनदार	—	—
	कुल	<u>4,051.86</u>	<u>9,899.36</u>
	वर्गीकरण अनुसार		
(a)	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.95	10.30
(b)	असुरक्षित, अच्छा माना गया	4,050.91	9,889.06
(c)	संदिग्ध	4,051.86	9,899.36
	कुल		
	संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान:		
(a)	सुरक्षित, अच्छा	—	—
(b)	असुरक्षित, अच्छा	—	—
(c)	संदिग्ध	—	—
	कुल प्रावधान	<u>4,051.86</u>	<u>9,899.36</u>
(a)	उपरोक्त व्यापार देनदारियों में संबंधित पक्षों से प्राप्त राशि भी शामिल है (नोट 34 देखें) :	0.08	0.04

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

- b. व्यापार देनदारियों की आयु अनुसूची 31 मार्च, 2025 को
(लागत या शुद्ध साकार मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यांकित)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i) विवाद रहित व्यापार देनदार – अच्छा	4,051.86	—	—	—	—	4,051.86
(ii) विवाद रहित व्यापार देनदार – संदिग्ध	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादास्पद व्यापार देनदार – अच्छा	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादास्पद व्यापार देनदार – संदिग्ध	—	—	—	—	—	—
कुल योग	4,051.86	—	—	—	—	4,051.86

व्यापार देनदारियों की आयु अनुसूची 31 मार्च, 2024 को

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i) विवाद रहित व्यापार देनदार – अच्छा	9,899.35	—	—	0.01	—	9,899.36
(ii) विवाद रहित व्यापार देनदार – संदिग्ध	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादास्पद व्यापार देनदार – अच्छा	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादास्पद व्यापार देनदार – संदिग्ध	—	—	—	—	—	—
कुल योग	9,899.35	—	—	—	—	9,899.36

Note 17: रोकड़ तथा रोकड़ समान

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
(i)	बैंक शेष		
a)	चालू खाते में	273.56	1,254.97
	रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह विवरण AS-3 के अनुसार	<u>273.56</u>	<u>1,254.97</u>
(b).	अन्य बैंक शेष		
(i)	बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह से कम	—	3,139.82
	बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह से अधिक एवं 12 माह से कम	9,287.36	7,255.61
(ii)	निर्धारित खाते में	4.57	9.27
	अवैतनिक लाभांश खातों में अनुदान	<u>679.57</u>	<u>1,704.85</u>
		<u>10,245.06</u>	<u>13,364.52</u>

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 18 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	162.69	76.43
(b)	पूर्वदत्त व्यय	109.30	55.68
(c)	सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	3.41	—
(d)	ग्रेच्युटी फंड में अग्रिम योदान (शुद्ध) नोट 29 देखें)	22.40	2.41
		<u>297.80</u>	<u>134.52</u>

Note 19 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	(असुरक्षित एवं उचित माने गए)	479.16	504.75
(a)	अर्जित ब्याज किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	<u>479.16</u>	<u>504.75</u>

Note 20 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	1,01,276.47	1,05,716.50
		<u>1,01,276.47</u>	<u>1,05,716.50</u>

Note :

विक्रय किये गए उत्पाद

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल है :		
	निर्मित/प्रक्रियत वस्तुएँ :		
(a)	पॉलीपैक दूध	653.33	6,565.94
(b)	घी	1,329.80	2,164.69
(c)	छाछ	19.89	120.39
(d)	दही	71.20	596.89
		<u>2,074.22</u>	<u>9,447.91</u>
	व्यापारिक माल		
(a)	कच्चा माल	96,481.10	93,456.08
(b)	पशु चारा	2,430.90	2,584.85
(c)	अन्य	290.25	227.66
		<u>99,202.25</u>	<u>96,268.59</u>
		<u>1,01,276.47</u>	<u>1,05,716.50</u>

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 21 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	782.38	602.82
	(ii) अन्य जमा	—	14.99
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	36.67	21.70
	(ii) देयता जो लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	17.25	85.32
	(iii) बीमा से आय	13.38	—
	(iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभा	40.83	—
	(v) विविध आय	5.53	37.54
		<u>896.04</u>	<u>762.37</u>

Note 22 : उपभोग की गई सामग्री की गई लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	(i) प्रारंभिक स्टॉक	1,792.16	7,863.11
	(ii) जोड़ें खरीद	1,792.16	7,863.11
	(iii) घटाएं : अंतिम स्टॉक	(7.86)	—
	कुल	<u>1,784.30</u>	<u>7,863.11</u>

Note 23 : व्यापारिक माल की खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	(i) कच्चा माल	90,933.14	86,406.88
	(ii) पशु चारा	2,351.83	2,295.15
	(iii) अन्य	142.69	149.22
	(iv) पैकिंग मैटेरियल	—	316.81
		<u>93,427.66</u>	<u>89,168.06</u>

Note 24 : तैयार माल और व्यापारिक माल की सूची में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	वर्ष की शुरुआत में सूची		
	तैयार माल	158.50	644.51
	व्यापार का कुल माल	681.10	272.70
		<u>839.60</u>	<u>917.21</u>
(b)	वर्ष के अंत में सूची		
	तैयार माल	244.63	158.50
	व्यापार का कुल माल	935.77	681.10
		<u>1,180.40</u>	<u>839.60</u>
	शुद्ध (वृद्धि)/कमी	<u>(340.80)</u>	<u>77.61</u>

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 25 : कर्मचारी लाभ व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	वेतन और मजदूरी	1,024.95	927.88
(b)	भविष्य निधि और अन्य फंड में अंशदान	97.46	85.69
(c)	ग्रेच्युटी फंड में अंशदान (नोट-29)	26.35	34.51
(d)	कर्मचारी कल्याण व्यय	58.00	43.94
		<u>1,206.76</u>	<u>1,092.02</u>

Note 26 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	उधार लेने पर ब्याज		
	– टर्म लोन पर ब्याज	13.42	0.98
	– बिल डिस्काउंटिंग पर ब्याज	110.91	572.42
	– कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	2.65	1.92
(b)	आयकर की देर से भुगतान पर ब्याज	–	11.02
		<u>126.98</u>	<u>586.34</u>

Note 27 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	स्टोर्स और स्पेयर की खपत	272.32	232.42
(b)	पावर और फ्यूल	16.55	12.79
(c)	प्रोसेसिंग शुल्क	59.18	365.39
(d)	किराया	189.40	178.16
(e)	कर और टैक्स	13.40	1.39
(f)	मरम्मत – मशीनरी	526.79	546.34
(g)	मरम्मत – अन्य	217.89	156.95
(h)	विज्ञापन और व्यापार प्रचार	14.66	125.12
(i)	माल ढुलाई, अग्रेषण और वितरण व्यय	1,829.15	2,347.44
(j)	बीमा शुल्क	67.05	40.59
(k)	कानूनी और पेशेवर शुल्क	171.36	118.61
(l)	ऑडिटर का पारिश्रमिक	9.74	20.60
(m)	यात्रा और आवागमन	303.07	226.63
(n)	आउटसोर्स मानव संसाधन	865.69	719.64
(o)	संचार व्यय	108.76	53.12
(p)	सीएसआर व्यय	19.49	13.75
(q)	विविध खर्च	73.37	108.19
		<u>4,757.87</u>	<u>5,267.13</u>

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
----------	-------	-----------------------------	-----------------------------

नोट :

1. ऑडिटर का पारिश्रमिक

(a)	वैधानिक ऑडिट शुल्क	7.00	14.49*
(b)	कर ऑडिट शुल्क	1.25	2.97*
(c)	जीएसटी	1.49	3.14*
		<u>9.74</u>	<u>20.60</u>
	*पूर्व ऑडिटर को भुगतान		

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुरूप, पिछली तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
----------	-------	-----------------------------	-----------------------------

(a) योगदान विवरण

	आवश्यक व्यय (A)	19.49	13.75
	पिछले वर्ष की कमी/अधिशेष (B)	—	—
	कुल आवश्यक व्यय (A+B)	<u>19.49</u>	<u>13.75</u>
	वास्तव में खर्च की गई राशि	19.49	13.75
	चालू वर्ष की कमी	—	—

(b) खर्च के उद्देश्य

	कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाएं	19.49	—
	प्रधानमंत्री राहत कोष	—	13.75
		<u>19.49</u>	<u>13.75</u>

(c) अन्य परियोजनाओं पर खर्च

	वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	—	—
	वर्ष के दौरान आवश्यक राशि	19.49	13.75
	अनुसूची VII के तहत फंड में जमा राशि	—	13.75
	वर्ष के दौरान खर्च	19.49	—
	वर्ष के अंत में बैलेंस	<u>—</u>	<u>—</u>

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 28 : आकस्मिक दायित्व और वचनबद्धताएँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(a)	आकस्मिक दायित्व (रु. लाख में)		
(i)	FSSAI अधिनियम की धारा 26(2)(ii) के उल्लंघन से संबंधित मामले	39.75	48.90
(ii)	UPGST और CGST अधिनियम के तहत जुर्माना प्रदत्त राशि (विरोधस्वरूप)	—	15.16
	UPGST और CGST जुर्माना	13.66	3.41
(b)	वचनबद्धताएँ		
(i)	पूँजीगत अनुबंधों की अपूर्ण राशि	280.17	1,245.91
(c)	दीर्घकालिक अनुबंध		
	कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक या डेरिवेटिव अनुबंध नहीं है जिससे महत्वपूर्ण हानि की संभावना हो।		
(d)	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF)		
	कंपनी द्वारा कोई विलंब नहीं किय गया है।		

Note 29 : कर्मचारी लाभ योजनाएँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	परिभाषित अंशदान योजना (Defined Contribution Plans)		
	ऑडिटर का पारिश्रमिक		
(a)	भविष्य निधि व पेंशन अंशदान	73.77	67.38
	परिभाषित लाभ योजना (Defined Benefit Plans – ग्रेच्युटी)		
(i)	दायित्व में परिवर्तन		
	वर्ष की शुरुआत में दायित्व	176.60	161.99
	ब्याज लागत	11.11	10.57
	वर्तमान सेवा लागत	26.92	26.40
	भुगतान किए लाभ	(46.33)	(30.14)
	एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	0.59	7.78
		168.89	176.60
(ii)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	वर्ष की शुरुआत में मूल्य	179.01	167.77
	अपेक्षित लाभ	10.92	10.08
	योगदान	0.00	1.01
	एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	1.35	0.15
		191.28	179.01

योजना परिसंपत्तियाँ LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) के साथ हैं।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(iii) योजना परिसंपत्तियों पर लाभ

अपेक्षित लाभ	10.92	10.08
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ	1.35	0.15
	<u>12.27</u>	<u>10.23</u>

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

कुल दायित्व	168.89	176.60
योजना परिसंपत्तियाँ	191.28	179.01
	<u>(22.39)</u>	<u>(2.41)</u>

(v) लाभ और हानि खाते में व्यय

वर्तमान सेवा लागत	26.92	26.40
ब्याज लागत	11.11	10.57
अपेक्षित रिटर्न (ऋणणात्मक)	(10.92)	(10.08)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/हानि	(0.76)	7.62
	<u>26.35</u>	<u>34.51</u>

(vi) बैलेंस शीट मिलान

वर्ष के शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	176.6	161.99
वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	179.01	167.77
वर्ष की शुरुआत में देनदारी / (आस्ति)	-2.41	-5.78
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	26.35	34.52
किया गया अंशदान	-	-1.01
भुगतान किए गए लाभ	-46.33	-30.14
वर्ष के अंत में निवल देनदारी / (आस्ति)	<u>-22.39</u>	<u>-2.41</u>

(vii) प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं

छूट दर	6.99% प्रतिवर्ष	7.24% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	6.10% प्रतिवर्ष	5.99% प्रतिवर्ष
नौकरी छोड़ने की दर	10.00% प्रतिवर्ष	10.00% प्रतिवर्ष
शेष कार्यकाल	21-92 वर्ष	21-18 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान पर मुद्रा स्फूर्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(viii) : अनुभव समायोजन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	168.89	176.60	161.99	144.66	119.10
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	191.28	179.01	167.77	143.30	115.44
	पोषित स्थिति	(22.39)	(2.41)	(5.78)	1.36	3.66
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	(0.59)	(7.78)	12.36	1.89	(0.03)
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	1.35	0.15	1.98	(0.63)	(2.27)

(ix) मुआवजे की अनुपस्थिति के लिये देयता के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणायें उपरोक्त 29(7) के समान हैं।

Note 30 : लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टा 9 साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्चें रु.184.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 171.51 लाख जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

भविष्य में न्यूनतम पट्टे का भुगतान	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
एक वर्ष के बाद देय नहीं	50.78	2.84
एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	224.07	20.65
पाँच वर्ष के बाद में देय	208.20	—
	<u>483.06</u>	<u>23.48</u>

Note 31 : प्रति समता अंश आय

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रुपये (लाख में)	554.83	1,734.30
	वर्ष के दौरान भारत औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या (लाख में)	29.95	28.01
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रुपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रुपये (लाख में)	18.53	61.92
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या (लाख में)	29.97	28.08
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रुपये	18.51	61.76

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 : अप्रयुक्त अनुदान / (अनुदान प्राप्त करने योग्य)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
(i)	प्रारंभिक शेष		1,078.04	—
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त		831.51	1,526.56
(iii)	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज		42.33	3.17
			<u>1,951.88</u>	<u>1,529.73</u>
	पूँजीगत खर्च के लिए उपयोग		914.4	418.82
	राजस्व खर्च के लिए उपयोग		324.95	32.21
			<u>1,239.35</u>	<u>451.03</u>
			34.94	0.66
	अप्रयुक्त अनुदान/(प्राप्त करने योग्य)		677.59	1,078.04

(ii) अनुदान की शर्तें

स्वीकृत कुल अनुदान राशि – 3,254.44

अवधि : 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक (3 वर्ष)

उद्देश : भारत सरकार की “सहकारी डेयरी कार्यक्रम” के अंतर्गत डेयरी अवसंरचना का विकास, गाँवों में के लिए बाजार से जोड़ने और राज्य स्तर तक संस्थाओं की क्षमता निर्माण हेतु।

(iii) अनुदान का उपयोग

पूँजीगत व्यय हेतु :

इस अनुदान को स्थगित अनुदान (Deferred Grant) के रूप में दर्ज किया गया है।

संपत्तियों की अमूर्त लागत के साथ व्यवस्थित तरीके से समायोजित किया जाता है।

(नोट 5 देखें)

राजस्व व्यय हेतु

जब तक खर्च नहीं किया जाता, अनुदान को देयता (Liability) के रूप में पहचाना गया है।

खर्च होने पर इसे संबंधित खर्च के साथ समायोजित किया गया है (नोट 2.10 देखें)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 33 : वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	Numerator	Denominator	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	अंतर (%)	अंतर का कारण
a.	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू दायित्व	1.94	1.57	24%	
b.	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की पूंजी	0.09	1.04	-0.91%	Note 1
c.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय	कुल ऋण सेवा	0.14	5.21	-0.97%	Note 2
d.	इक्विटी पर प्रतिफल	शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की पूंजी	5.36%	18.75%	-71%	Note 3
e.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेची गई वस्तुओं की लागत	औसत इन्वेंटरी	80.89	81.80	-0.1%	
f.	ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापारिक देनदारी	14.52	10.38	40%	Note 4
g.	ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापारिक देय	20.98	25.34	-17%	
h.	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	11.90	12.21	-3%	
i.	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	0.55%	1.64%	-67%	Note 3
j.	पूंजी पर प्रतिफल (ROCE)	ब्याज और कर पूर्व लाभ	पूंजी निवेश	6.74%	25.41%	-73%	Note 6
k.	निवेश पर प्रतिफल (ROI)	निवेश से आय	औसत निवेश	-	-	-	

अनुपातों का कार्य

अनुपातों का अधार

a. चालू अनुपात (Current Ratio)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	अंतर (%)	अंतर का कारण
वर्तमान संपत्ति	16373.58	1.94	24905.08	1.57
वर्तमान देनदारी	8423.24		15833.41	

b. ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	अंतर (%)	अंतर का कारण
कुल ऋण (दीर्घकालिक ऋण+अल्पकालिक ऋण+पूंजी पट्टा दायित्व)	957.65	0.09	10388.54	1.04
इक्विटी शेयरधारक (शेयर पूंजी+आरक्षित+आरक्षित निधित और अधिशेष)	10708.31		9984.90	

c. ऋण सेवा कवरेज अनुपात

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	अंतर (%)	अंतर का कारण
शुद्ध परिचालन आय (कर से पहले लाभ+ मूल्यहांस + वित्तीय लागत)	1,336.72	0.14	3,010.94	5.21
कुल ऋण सेवा (ब्याज भुगतान+ मूलधन चुकौती)	9,676.82		576.43	

d. इक्विटी अनुपात पर वापसी

कर के बाद लाभ (पीएटी)	554.83	5.36%	1,734.30	18.75%
औसत इक्विटी शेयरधारक निधि (प्रारंभिक शेयरधारक निधि + समापन शेयरधारक निधि)/2	10,346.61		9,250.81	

e. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात

बेचे गए माल की कीमत	93,086.86	80.89	89,205.06	81.80
औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक इन्वेंट्री+समापन इन्वेंट्री)/2	1,150.82		1,091.08	

f. व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात

शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न)	1,01,276.47	14.52	1,05,716.50	10.38
औसत व्यापार प्राप्तय (प्रारंभिक देनदार+समापन देनदार)/2	6,975.61		10,181.16	

g. व्यापार देय कारोबार अनुपात

शुद्ध खरीद (खरीद-खरीद रिटर्न)	93,427.66	20.98	89,168.56	25.34
औसत व्यापार देयताएं (प्रारंभिक व्यापार देयताएं+ अंतिम व्यापार देयताएं)/2	4,453.74		3,518.53	

h. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात

शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न)	101276.47	11.90	105716.50	12.21
औसत कार्यशील पूंजी = (प्रारंभिक कार्यशील पूंजी) + (समापन कार्यशील पूंजी)/2	8511.01		8659.47	

i. शुद्ध लाभ अनुपात

शुद्ध लाभ	554.83	0.55%	1734.30	1.64%
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न)	1,01,276.47		1,05,716.50	

j. नियोजित पूंजी पर रिटर्न

ब्याज और कर से पहले की कमाई	877.68	6.74%	2,796.58	25.41%
नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्तियाँ – वर्तमान देनदारियाँ)	13,029.65		11,006.16	

k. निवेश पर प्रतिफल

1. अल्पावधि उधार में पर्याप्त कमी और शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि के कारण अनुपात में कमी आई है।
2. चालू वर्ष के दौरान ऋण की मूल राशि की अधिक अदायगी के कारण इस अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है।
3. कंपनी की लाभप्रदता में कमी के कारण अनुपात में कमी आई है।
4. राजस्व में कमी और औसत व्यापार प्राप्य में तुलनात्मक रूप से पर्याप्त कमी के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है।
5. कंपनी की आय में भारी कमी के कारण अनुपात में कमी आई है।

Note 34 : संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण (Related Party Disclosure)

A. संबंधित पक्ष और उनका संबंध

व्यक्ति का नाम	संबंध
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (Key Management Personnel) :	
डॉ. प्रफुल कुमार शांतिलाल भानवाडिया	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (26 नवम्बर 2024 से)
बसंत चौधरी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (25 नवम्बर 2024 तक)
रघु हसन मल्लेगौड़ा	विशेषज्ञ निदेशक (24 मई, 2024 से प्रभावी)
सौगत मित्रा	विशेषज्ञ निदेशक
संजय कुमार गोवानी	विशेषज्ञ निदेशक
रजनीश कुमार	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 तक)
शिव प्रताप	निदेशक
उपेन्द्र सिंह	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 तक)
शिव कुमार शर्मा	निदेशक
योगेश कुमार जादौन	निदेशक
अनुरुद्ध कुमार	निदेशक (16 सितम्बर, 2023 तक)
सपना देवी	निदेशक
सुशील कुमार	निदेशक
राहुल कुमार	निदेशक
मानिक चंद्र	निदेशक (20 जनवरी, 2024 तक)
उमा भदौरिया	निदेशक (16 सितम्बर, 2024 से प्रभावी)
सुलेखा	निदेशक (16 सितम्बर, 2024 से प्रभावी)
सुनीत	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 तक)
शीलेन्द्र कुमार	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 से प्रभावी)
अवनेन्द्र कुमार	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 से प्रभावी)
रजनी	निदेशक (25 सितम्बर, 2024 से प्रभावी)
प्रेमलता	निदेशक (16 सितम्बर, 2023 तक)

b. उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की प्रकृति और मात्रा इस प्रकार है:

व्यक्ति का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बसंत चौधरी	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	58.76	46.59
		58.76	46.59
रजनीश कुमार	बैठक शुल्क	0.20	0.28
शिव प्रताप	बैठक शुल्क	0.56	0.32
उपेन्द्र सिंह	बैठक शुल्क	0.20	0.25
शिवकुमार शर्मा	बैठक शुल्क	0.40	0.25
योगेश कुमार जादौन	बैठक शुल्क	0.43	0.25
अनुरुद्ध कुमार	बैठक शुल्क	0.00	0.11
प्रेमलता	बैठक शुल्क	0.00	0.11
सपना	बैठक शुल्क	0.40	0.28
सुशील कुमार	बैठक शुल्क	0.30	0.14
राहुल कुमार	बैठक शुल्क	0.50	0.21
माणिक चंद्र	बैठक शुल्क	0.00	0.11
उमा भदौरिया	बैठक शुल्क	0.46	0.14
सुलेशा	बैठक शुल्क	0.40	0.14
सुनीत	बैठक शुल्क	0.20	0.04
शीलेन्द्र कुमार	बैठक शुल्क	0.19	0.00
अवनेश कुमार	बैठक शुल्क	0.19	0.00
रजनी	बैठक शुल्क	0.19	0.00
	कुल योग	4.61	2.62
शिव कुमार शर्मा	दूध की खरीद	0.42	0.39
उपेन्द्र सिंह	दूध की खरीद	0.91	7.55
रजनीश कुमार	दूध की खरीद	0.43	0.51
अनुरुद्ध कुमार	दूध की खरीद	—	0.43
शिवप्रताप सिंह	दूध की खरीद	1.07	1.03
सुशील कुमार	दूध की खरीद	6.7	4.95
सपना देवी	दूध की खरीद	2.81	2.62
प्रेमलता	दूध की खरीद	—	0.10
योगेश कुमार जादौन	दूध की खरीद	2.91	3.78
सुनीत	दूध की खरीद	0.41	1.75
राहुल कुमार	दूध की खरीद	1.51	1.84
माणिकचंद्र	दूध की खरीद	—	0.3
उमा भदौरिया	दूध की खरीद	0.51	0.5
सुलेखा	दूध की खरीद	0.77	1.15
	कुल योग	18.44	26.69

शिव कुमार शर्मा	घी और पशु आहार की बिक्री	0.08	0.08
उपेन्द्र सिंह	घी और पशु आहार की बिक्री	0.10	0.45
रजनीश कुमार	घी और पशु आहार की बिक्री	0.10	—
शिव प्रताप सिंह	घी और पशु आहार की बिक्री	0.08	0.03
सुशील कुमार	घी और पशु आहार की बिक्री	0.23	0.24
सपना देवी	घी और पशु आहार की बिक्री	0.36	0.21
योगेश कुमार जादौन	घी और पशु आहार की बिक्री	0.24	0.27
सुनीत	घी और पशु आहार की बिक्री	0.03	0.01
राहुल कुमार	घी और पशु आहार की बिक्री	0.04	0.06
उमा भदौरिया	घी और पशु आहार की बिक्री	0.03	—
सुलेखा	घी और पशु आहार की बिक्री	0.11	0.07
	कुल योग	1.31	1.42

चालू वर्ष के प्रबंधकीय पारिश्रमिक में पूर्ण एवं निपटान में भुगतान की गई ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि शामिल है।

c. वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
व्यापार देय		
शिव कुमार शर्मा	0.03	0.01
उपेन्द्र सिंह	—	0.20
रजनीश कुमार	—	0.01
शिव प्रताप सिंह	0.05	0.02
सुशील कुमार	0.20	0.09
सपना देवी	0.13	0.05
योगेश कुमार जादौन	0.14	0.18
सुनीत	0.00	0.02
राहुल कुमार	0.02	0.05
उमा भदौरिया	0.07	0.01
सुलेखा	0.04	0.02
	0.67	0.67
व्यापार प्राप्तियां		
शिव कुमार शर्मा	0.01	0.00
उपेन्द्र सिंह	0.00	0.02
शिव प्रताप सिंह	0.00	0.01
सुशील कुमार	0.01	0.01
सपना देवी	0.01	0.00
योगेश कुमार जादौन	0.03	0.01
उमा भदौरिया	0.03	0.00
	0.08	0.04

35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण आवश्यक है

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि	95.15	92.88
लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान न किया जाना	—	—
नियम दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	—	—
वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	—	—
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	—	—
आगामी वर्ष में भी देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपर्युक्त ब्याज का वास्तविक भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	—	—

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। लेखा परीक्षकों ने इसी पर भरोसा किया है।

36. अन्य वैधानिक जानकारी

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने उन कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटा दिया गया है।
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया।
- कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्या प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकटीकृत किया गया हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास कोई पूर्व-अलिखित आय नहीं थी और वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में दर्ज करने के लिए कोई अतिरिक्त संपत्ति आवश्यक नहीं थी।
- वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं (बिचौलिये) शामिल हैं, को कोई अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार की गई निधियों से हो या शेयर प्रीमियम से) नहीं दिया है।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान न तो किसी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार किया है और न ही निवेश किया है। साथ ही, कंपनी को किसी भी व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से कोई जमा या अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ है।
- कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के लिए बेनामी संपत्ति लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (समय-समय पर संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और न ही कोई लंबित है।
- कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं (फंडिंग पार्टी) शामिल हैं, से कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई (चाहे वह लिखित हो या मौखिक) कि कंपनी :
- प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को फंड देगी या निवेश करेगी जिन्हें फंडिंग पार्टी या उसके

प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार से पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी), या

- (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।
- (h) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं/ बिचौलिये शामिल हैं) को कोई फंड इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में नहीं दिया है कि वह बिचौलिया :
- (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को फंड दे या निवेश करे जिन्हें कंपनी या उसके प्रतिनिधि द्वारा पहचाना गया हो (अंतिम लाभार्थी), या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करें।
- (l) कंपनी ने किसी भी अन्य कंपनी में कोई नई निवेश नहीं की है, अतः अधिनियम की धारा 2(87) और उसके साथ पढ़े जाने वाले "Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017" कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (j) कंपनी के लिए किसी भी प्रभार या प्रभार की संतुष्टि का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकरण लंबित नहीं है।
- (k) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता (wilful defaulter) घोषित नहीं किया गया है।

Note : 37

लेखा मानक AS-17 के तहत खंड रिपोर्टिंग की आवश्यक खुलासे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी मुख्यतः दूध के एकलव्य व्यापार खंड में कार्य करती है और केवल एक भौगोलिक खंड में संचालित होती है।

Note : 38

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने दिनांक 15 जुलाई, 2025 की बैठक में रु. 254.54 लाख (रु. 8/- प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश पूर्ण रूप से चुकाए गए इक्विटी शेयरों पर देने का प्रस्ताव किया है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक साधारण सभा में शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में शामिल किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूर्ण रूप से चुकाए गए इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

Note : 39 शेयर आवेदन राशि – आवंटन लंबित

31 मार्च, 2025 की स्थिति में, कंपनी को 52,363 इक्विटी शेयरों के लिए रु. 52.36 लाख की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है (31 मार्च, 2024 की स्थिति में 27,176 इक्विटी शेयर के लिए रु. 27.18 लाख) जिस पर प्रीमियम शून्य है (31 मार्च, 2024 को भी शून्य) कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन के लिए पर्याप्त अधिकृत पूंजी उपलब्ध है। तत्पश्चात्, कंपनी ने इन शेयरों का आवंटन 21 मई, 2025 को कर दिया है।

Note : 40 ऑडिटट्रेल

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 24 मार्च 2021 को अधिसूचना संख्या G.S.R. 2006 (E) (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से, कंपनियों (लेखा) संशोधन नियम, 2021 के नियम 3(1) के उपबंध के संदर्भ में यह अनिवार्यता

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने दिनांक 24 मार्च 2021 को अधिसूचना संख्या G.S.R. 2006 (E) (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से, कंपनियों (लेखा) संशोधन नियम, 2021 के नियम 3(1) के उपबंध के संदर्भ में यह अनिवार्यता लागू की, जिसके तहत प्रत्येक कंपनी जो लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग अपनी पुस्तकों को बनाए रखने के लिए करती है, उसे केवल ऐसा लेखासॉफ्ट वेयर ही उपयोग करना होगा जिसमें प्रत्येक लेकदेन का ऑडिट ट्रेल दर्ज करने की सुविधा हो, और यह सुनिश्चित हो कि ऑडिट ट्रेल की सुविधा को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसा लेखा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जिसमें एप्लिकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्रिय थी और वर्ष भर सभी प्रासंगिक लेन-देन रिकॉर्ड किए गए। हालांकि, कुछ विशेष तालिकाओं और उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा एप्लिकेशन स्तर और प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन के लिए डेटाबेस स्तर पर सक्रिय नहीं थी।

कंपनी ने क्रय से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया, जिसमें ऑडिटट्रेल (एडिटलॉग) की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

Note : 41

पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनः समूहित किया गया है जहाँ कहीं आवश्यक हो, ताकि वे वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण से मेल खा सकें।

कृते निदेशक मण्डल

ह./—
शिव प्रताप
निदेशक
DIN : 07894230

ह./—
डॉ. प्रफुल्ल कुमार शान्तिनाथ भानवाड़िया
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN : 07477658

ह./—
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
Membership No.: F10508

ह./—
सुदीप कुमार भौमिक
सहायक महाप्रबन्धक वित्त

स्थान : आगरा
दिनांक : 15 जुलाई, 2025

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट न. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

बारहवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की बारहवीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 को पूर्वान्ह 10:30 बजे होटल मधु रिसॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/- वाले 31,81,783 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कुल रु. 2.55 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. : 09300081), जो “श्रेणी ए” के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के

वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न-अध्यादेश) श्री सुशील कुमार, कंपनी की निदेशक, जो "श्रेणी ए" के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम यादव (डी.आई.एन. 11200177) को जो "श्रेणी-बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।"

4. श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230), जो " श्रेणी सी " के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) श्री शिव प्रताप, कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी सी" के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती सोनम कुमारी (डी.आई.एन. 11200113) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

5. श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410) को " श्रेणी सी " के अंतर्गत आते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) श्री शिव कुमार शर्मा, कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 11200161) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को कम्पनी ने निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगी।"

6. 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।"

7. संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों पर विचार

कर अनुमोदित करना।

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि छठीं वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या – 09/ छठीं वार्षिक आम सभा : 06.09.2019 / 2019–20 को खारिज करते हुए एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के संदर्भ में व्यवसाय में सभी की भागीदारी (अर्थात् संरक्षता) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्ड नीचे दिये गए हैं :”

क्र.सं.	मानदण्ड	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'
1.	एक वर्ष ने कंपनी को दूध आपूर्ति किये गतिविधियों की संख्या	330 दिन या उससे अधिक	270 दिन या उससे अधिक	200 दिन या उससे अधिक
2.	कंपनी द्वारा आपूर्ति किये गये वार्षिक दूध की संख्या (लीटर में)	8,000 या उससे अधिक	3,000 या उससे अधिक	500 या उससे अधिक
3.	एक वर्ष में, शीतकालीन महीनों (नवम्बर–फरवरी) और ग्रीष्मकालीन महीनों (अप्रैल–जुलाई) के दौरान की गई दूध की आपूर्ति की मात्रा	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
4.	कंपनी के अंकित मूल्य प्रति अंश रु. 100/- अभिदान किये गये न्यूनतम अंशों की संख्या	80 अंश	30 अंश	05 अंश

नोट –

- (अ) वास्तविक अंशधारी या आपूर्ति किये गये वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, श्रेणी वर्गीकरण करने के लिए माना जायेगा।
- (ब) संरक्षता गणना के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :
- (i) जिन सदस्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़ा गया है और अभी तक उन सदस्यों ने अपनी सदस्यता के 365 दिनों को पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी ले ली गई है, उन्हें उस श्रेणी से सम्बन्धित माना जाएगा।
- (ii) कोई भी सदस्य जो “श्रेणी-ए” या “श्रेणी-बी” के तहत मानदण्डों को पूरा नहीं करेगा, उसका उचित निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है जिसके लिए वह सदस्य मानदण्डों को पूरा करता है। हालांकि, वह इस वर्ष में निदेशक मण्डल के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा।

(iii) वे सदस्य जो कम से कम "श्रेणी-सी" को बनाए रखने के लिए आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अर्न्तनियम के अनुच्छेद 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द जारी करने का नोटिस जारी किया जायेगा।

8. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जाँच करने के लिए नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करना और उन्हें निम्नलिखित रूप से साधारण प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित करना।

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि तृतीय वार्षिक आम सभा में पारित प्रस्ताव संख्या : 09/तृतीय वार्षिक आम : 10.09.2016/206-17 जो 10.09.2016 को आयोजित हुई थी को खारिज करते हुये, भाग XXI-A सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और ज्ञापन-पत्र व कंपनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नामांकन समिति के गठन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश एतद्द्वारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जाते हैं (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः अध्यादेश अथवा अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) जो कि इस प्रकार है—

- (i) बोर्ड, 'कंपनी के बोर्ड में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कम्पनी") का बोर्ड एक "नामांकन समिति" का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन माह में करेगा।
- (ii) कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा (श्रेणी-ए, श्रेणी-बी या श्रेणी-सी वर्ग के अन्तर्गत), उत्पादक निदेशकों की रिक्ति की घोषणा की जायेगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों के नामांकन आमंत्रित करने हेतु एक सूचना कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाईट (यदि हो) पर और/या सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजकर और/या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/तरीके से, संबन्धित श्रेणी/श्रेणियों के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जायेगी, जिनके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है।
- (iii) अनुच्छेद के तहत, बोर्ड ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना "नामांकन समिति" द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) "नामांकन समिति" निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी के योग्यता अंक' पर विचार करेगी।

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे : (95% या अधिक दिन – 30, 85% से < 95% दिन–20, 75% से < 85%–15, 65% से < 75%–10, 55% से < 65%–5, <55%–0)	30
इस अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण अधिशेष (सरप्लस) की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (अ, ब, स) में से किसी एक की निरंतर सदस्यता बनाकर रखने पर – प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक दिये जायेंगे।	30
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता: पुरुषों के लिए – 12वीं पास होने पर – 5 अंक, स्नातक होने पर – 10 अंक, परास्नातक होने पर – 15 अंक महिलाओं के लिए – 10 वीं पास होने पर – 5 अंक, 12 वीं पास होने पर 10 – अंक, स्नातक पास होने पर – 15 अंक	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी/एमआरजी : (5 अंक); एलडीपी (लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम)/बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नामांकन समिति' में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे –

- (i) सदस्यता की श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है। बशर्ते ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक-सदस्य निदेशक योग्य सिद्ध होते हैं, तो यदि उनके बीच कोई समझौता न हो, तो और ऐसी किसी भी आपसी सहमति के अधीन लॉटरी (या चिट्ठी डालकर चलन) के माध्यम से नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक – सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो कोई अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक को ज़ा ऑफ लॉट्स के द्वारा एक नामांकन समिति सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक – सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थिति निदेशकों की आपसी सहमति से या चिट्ठी डालकर चयन के द्वारा चुना जायेगा।
- (ii) कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक।
- (iii) किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एक विशेषज्ञ, या ऐसी संस्थान से जो स्वामित्व वाले उद्यमों

के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर चुकी है।

कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नामांकन समिति' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नामांकन समिति की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (vi) 'नामांकित समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।
- (vii) बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को चुनने के लिए 'नामांकन समिति' के द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी देगा।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।"

9. एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी को सब्सक्राइब करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्न्तनियम एवं बर्हिनियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों/कानूनों (जिसमें समय-समय पर किये गये वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम को भी शामिल किया जाये) के अर्न्तगत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि कंपनी एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य बने और कंपनी के सामान्य भण्डार(General Reserves) की अधिकतम 30% सीमा तक उस बहु राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है, कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही करने और दस्तावेज निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान – आगरा

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

टिप्पणीयाँ –

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक सदस्य, हाथ दिखाकर मतदान करने के साथ-साथ स्वयं के स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी एक सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को कंपनी का प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। इसके साथ एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बारहवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।
3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुए एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसे अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हों।
4. एक व्यक्ति अधिकतम तीन सौ (300) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूंजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :
 1. ऊपर मद संख्या 3, 4 एवं 5 में दिए गए अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में विवरण और मद संख्या 9 में निर्धारित व्यवसाय के संबंध में विवरण यहाँ संलग्न हैं।
 2. 25 सितम्बर, 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त।
 3. 31 मार्च, 2025 को लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठा और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, साथ में निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
 4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट।
6. जिन सदस्यों को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेज दें।
7. संलग्न नोटिस और संलग्न विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ सभी संचार में सोलह अंकों का सदस्यता कोर्ड और फोलियो नंबर उद्धृत करें।
9. बोर्ड द्वारा अनुशासित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।
10. सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ), यदि सीमित रिटर्न (लाभांश) का दावा नहीं किया जाता है। अवधि के भीतर भुनाया नहीं जाता है। इसकी घोषणा तारीख से 7 साल बाद, दावा न की गई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण के कारण अवैतनिक लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2017-18	13 / 09 / 2018	20 / 10 / 2025
2018-19	06 / 09 / 2019	13 / 10 / 2026
2019-20	02 / 11 / 2020	09 / 12 / 2027
2020-21	24 / 09 / 2021	31 / 10 / 2028
2021-22	23 / 08 / 2022	30 / 09 / 2029
2022-23	16 / 09 / 2023	22 / 10 / 2030
2023-24	25 / 09 / 2024	30 / 10 / 2031

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं किया है, वे उक्त निधि में स्थानांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी, पता और मोबाइल नम्बर पंजीकृत/अद्यतन करें।
12. बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध होगी।
13. वार्षिक आम बैठक स्थल तक पहुंचने का रूट मैप प्रमुख स्थल चिन्ह सहित नोटिस का हिस्सा है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान – आगरा

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 एवं 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्रीमती पूनम यादव (डी.आई.एन. : 11200177 जो 'श्रेणी-बी' का प्रतिनिधित्व करती हैं), श्रीमती सोनम कुमारी (डी.आई.एन. : 11200113 जो 'श्रेणी सी' का प्रतिनिधित्व करती हैं और श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 11200161 जो श्रेणी 'सी' का प्रतिनिधित्व करती हैं) कि नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्रीमती पूनम यादव	श्रीमती सोनम कुमारी	श्रीमती प्रेमलता
उम्र	37	32	30
शैक्षिक योग्यता :	हाईस्कूल	इंटरमीडिएट	इंटरमीडिएट
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 15 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	बारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	बारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	बारहवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	—	—	—
अंश पूजीधारिता :	147	54	41
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

मद संख्या : 9

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के माध्यम से प्रोत्साहित या भविष्य में प्रोत्साहित या भविष्य में प्रोत्साहित की जाने वाली दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक बहु-राज्य सहकारी संस्था के गठन की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है। उक्त सहकारी संस्था का पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। यह संस्था अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन में सहायता प्रदान करने, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करने तथा सरकार के सहयोग से और सहकारी सिद्धान्तों का पालन करते हुए दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करेगी।

चूंकि सहज एमपीओ के उद्देश्य एवं गतिविधियाँ इस सहकारी संस्था के व्यापक लक्ष्य एवं दृष्टिकोण, विशेषकर सहकारी एवं पारस्परिक सहायता सिद्धान्तों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा भारत में डेयरी श्रृंखला को सुदृढ़ करने के साथ पूर्ण रूप से मेल खाती हैं, अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि सहज एमपीओ उपरोक्त बहु-राज्य सहकारी संस्था की सदस्य बने और कंपनी के सामान्य भंडार की अधिकतम 30% सीमा तक अंश पूंजी में योगदान देकर उसके शेयर सब्सक्राइब करें।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार को इस प्रस्ताव में कोई व्यक्तिगत हित या सरोकार नहीं है।

निदेश मंडल, इस प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति के लिए बैठक की सूचना के क्रमांक 9 में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन हेतु सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

दिनांक : 15 जुलाई, 2025
स्थान – आगरा

ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव व एजीएम-लीगल
सदस्यता संख्या : F10508

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा, जो शनिवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को सुबह 10:30 बजे होटल मधु रिसॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एवं अंशधारक)
2.	श्री राहुल कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती सुलेखा	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती सुनीत	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री सुशील कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती उमा भदौरिया	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री संजय कुमार मगनलाल गोवानी	:	निदेशक एवं अंशधारक
13.	श्री बसंत चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
14.	श्री वरुण वर्मा	:	कंपनी सचिव

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 110

प्रतिनिधि के माध्यम से : 32,468

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 10:30 बजे बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की उपस्थिति की पुष्टि करने को कहा।

इसके बाद, कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से 110 सदस्य जिनके 6,276 अंश हैं और प्रॉक्सी के माध्यम से 32,468 सदस्य जिनके 18,38,211 अंश हैं, उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपटित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 28,025 सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार, कोरम बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम 28,025 सदस्य अंशधारक मौजूद हैं, बैठक का कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष ने कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के निदेशक श्री सौगत मित्रा, और डा. रघु हसन मल्लेगौड़ा बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मैसर्स एस.बी. बिल्लिमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने अपनी व्यस्तताओं के कारण वार्षिक आगम बैठक (AGM) में उपस्थित न होने के लिए छूट का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

कंपनी सचिव श्री वरुण वर्मा ने घोषणा की कि, सदस्यों के निरीक्षण के लिए निदेशकों की अंशधारिता का रजिस्टर, प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों की अंशधारिता का विवरण और अन्य वैधानिक रजिस्टर बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर रखे गए हैं।

कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले सदस्यों को वितरित किया गया था, उपस्थिति सभी सदस्यों की सहमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यताएं नहीं थीं और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को अपना भाषण दिया।

सदस्यों को अपना संबोधन समाप्त करने पर, अध्यक्ष ने बैठक को ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित कार्यों को निपटाने का निर्देश दिया।

बैठक में निम्नलिखित व्यवसाय किये गये :

1. 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं

निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।

श्रीमती शालिनी (फोलियो नं.: 0068993) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 01 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

श्री मदन सिंह तोमर (फोलियो नं.: 0167222) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न ;लाभांशद्ध पर विचार करना और घोषित करना।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (फोलियो नं.: 0090077) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 02 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आरक्षित और अधिशेष में से 8 / – रुपये प्रति समता अंश की दर से 100 / – रुपये वाले 27,97,002 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 2.23 करोड़ रुपये सीमित रिटर्न (लाभांश) की मंजूरी दी गई है और इसकी पुष्टि की गई है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।”

श्री सुभाष (फोलियो नं.: 0127458) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री रजनीश कुमार (डीआईएन: 07894245) जो “श्रेणी-सी” के अंतर्गत आते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से

सेवानिवृत्त होंगे)

श्रीमती राजेश कुमार (फोलियो नं.: 0064620) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.24 / 2024-25

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ श्री रजनीश कुमार कंपनी की निदेशक जो "श्रेणी-सी" के अंतर्गत आते हैं जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्रीमती रजनी (डीआईएन : 10739075) को जो "श्रेणी सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होगी।"

श्री अजय कुमार (फोलियो नं.: 0219869) जो "श्रेणी सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको श्रेणी सी के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. : 08198050) जो "श्रेणी-ए" के अंतर्गत आते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री पुषापेद्र बाबू (फोलियो नं.: 0055884) जो "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अंतर्नियमों के अंतर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (उस समय के लिए किस भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ श्री उपेन्द्र सिंह कंपनी के निदेशक जो "श्रेणी ए" के अंतर्गत आते हैं जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी जगह श्री अवनेश कुमार (डीआईएन : 10756258) को जो "श्रेणी ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं को कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री हर्षपाल सिंह (फोलियो नं.: 0100902) जो "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको "श्रेणी ए" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्री शैलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. : 10739035) जो बार्ड में "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूर्ण करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह (फोलियो नं. 0111054) जो "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 05 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शैलेन्द्र कुमार (डी.आई.एन. : 10739035) जो बार्ड में "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूर्ण करते हुये स्वयं को नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री प्रेम प्रकाश (फोलियो नं.: 0102721) जो "श्रेणी ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको "श्रेणी ए" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती सपना (डी.आई.एन. 08865085), जो बार्ड में "श्रेणी-बी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।

श्री गुरु प्रसाद (फोलियो नं. 0011579) जो "श्रेणी-बी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06 / 10वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

प्रस्ताव संख्या : 06 / 11वीं एजीएम : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है श्रीमती सपना (डी.आई.एन. : 08865085) जो बोर्ड में “श्रेणी-बी” का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर और योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं को कंपनी के निदेशक के तौर पर पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।

श्रीमती मुन्नी देवी (फोलियो नं. 0245579), जो “श्रेणी-बी” का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको “श्रेणी-बी” के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. मैसर्स एसएन. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी कंपनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना :

श्री विमल तिवारी (फोलियो नं. 0025455) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07 / 11वीं एजीएम : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 139 और 142 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार मैसर्स एस.एस. धवन एण्ड कंपनी एलएलपी, एफआरएन (000050एन/एन : 00045) चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर 16वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक तय की जाएगी।”

श्री इंदल सिंह (फोलिया संख्या : 0160016) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव का मतदान के लिए रखा जिसका सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर और उसका अनुमोदन करना।

श्री अशोक कुमार सिंह (फोलियो नं.: 0093449) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के

रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 08 / 11वीं वार्षिक आम सभा : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष पारित किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।”

श्री विकास (फोलियो नं. : 0244385) ने का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

9. NDDDB डेरी सर्विसेज (NDS) को दूध की आपूर्ति पर विचार करना :

श्री प्रभात सिंह (फोलियो संख्या : 0194192) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 09 / 11वीं एजीएम : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम के अध्याय ग्ग। के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधान, यदि कोई (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन सहित, जो तत्काल में लागू है) के अनुसार अंशधारकों की सहमति के साथ एवं दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को हुये आपूर्ति अनुबंध के तहत किसी भी संशोधन सहित दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के साथ प्रवेश किया जाता है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

श्री रनवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0004729) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ दूसरी व्यवस्था में प्रवेश कर विचार और अनुमोदन

करना और इस संबंध में निम्नलिखित को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना :
श्रीमती सुरजिता देवी (फोलियो संख्या : 0057096) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 10 / 11वीं एजीएम : 25.09.2024 / 2024-25

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय ग्ग। के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियम सहित, जो तत्काल में लागू है) एवं कंपनी के सदस्यों की सहमति के साथ एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था / समझौता करना और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादन लेनदेन का अनुसमर्थन करना और लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करना और / या जारी रखना।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था / समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एवं आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।”

श्रीमती अनीता देवी (फोलियो संख्या : 0057077) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. अन्य कोई कार्यक्रम न होने के कारण, बैठक अध्यक्ष के आभार के साथ सुबह 11:00 बजे सम्पन्न हुई।

दिनांक : 25 सितम्बर, 2024
स्थान – आगरा

मिनट बुक में प्रविष्टि की तारीख : 26 सितम्बर, 2024
ह./-
कंपनी सचिव

ह./-
रजनीश कुमार
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 07894245

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी
आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	7.60
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,53,688.91
अन्य आय	रुपये लाखों में	935.27
कुल आय	रुपये लाखों में	1,54,624.18
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	1,37,05.062
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	1,65,68.60
कुल व्यय	रुपये लाखों में	1,53,619.21
कर पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	1,004.97
	प्रतिशत (%)	0.65%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	2,025.51
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	477.65
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	10.40
कुल व्यय	रुपये लाखों में	2,513.56

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन. : U01403UP2014PTC066595
 कंपनी का नाम : सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
 प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
 आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत
 सदस्य(यों) का नाम :
 पंजीकृत पता :
 ई-मेल पता :
 फोलियो संख्या :
 मैं/हम उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा
 निम्न को नियुक्त करते हैं -

- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर :

दिनांक 14 अगस्त, 2025 दिन गुरुवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे होटल मधु रिसॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की बारहवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषण करना।			
3.	श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. : 09300081), जो "श्रेणी-ए" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230), जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
5.	श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410), जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
6.	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	संरक्षता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों पर विचार और अनुमोदन करना।			
8.	नामांकन समिति के गठन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करना।			
9.	एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी को सब्सक्राइब करना।			

....., 2025 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा
करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक् रूप से पूर्ण एवं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क,
प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

बारहवीं वार्षिक आम सभा – 14 अगस्त, 2025

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	


मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्द्वारा होटल मधु रिसॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की बारहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप




एजीएम स्थल :
 होटल मधु रिजॉर्ट्स, एन.एच.-19, निकट सिकन्दरा
 मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007



सहज सुदाना अपनाने के फायदे



सहज शुद्ध दानेदार देशी घी



सहज मिन अपनाने के फायदे

बुक-पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : यूनिट नं. 401-02-03-04, चतुर्थ तल, पदम कॉर्पोरेट पार्क

प्लॉट नं. बी.एस.-10, सेक्टर-13, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आवास विकास कॉलोनी

आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेजे)